

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Consumer Protection Bill, 2019, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 30th July, 2019."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

GOVERNMENT BILLS—*contd.*

Statutory Resolution disapproving the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Second Ordinance, 2019

and

The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. The next speaker is Shri Satish Chandra Misra.

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद सर। हम अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल का विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं। हमारी पार्टी का यह भी मत है कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिए।

मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया एक महिला हैं, सुश्री बहन मायावती जी और महिलाओं के हक के लिए हम लोग हमेशा से लड़ते रहे हैं और लड़ते भी रहेंगे। इस बिल के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे यह महिलाओं के पक्ष में आया है, जो कि पूर्णतः गलत है। समय बहुत कम है, जो हमें बोलने के लिए दिया गया है, इसलिए मैं उतने समय में ही अपनी बात कहना चाहूँगा। जो बातें और सदस्यों ने कही हैं, उनको मैं दोहराना नहीं चाहूँगा।

मान्यवर, लॉ मिनिस्टर साहब एक सम्मानित सीनियर एडवोकेट भी हैं और लॉ में उनका पूरा ज्ञान भी है, लेकिन जब वे इस बिल को लेकर आए हैं, तो इसमें यह सोचने की जरूरत है कि इस बिल से आप क्या दे रहे हैं? एक void action है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि यह एक्शन जो होगा, अगर किसी ने तलाक बोला है, तो वह invalid है और वह void है।

महोदय, अगर 'void' word use किया गया है, तो वह exit नहीं करता है। इस बिल के माध्यम से आप जो non-existence चीज है, उसे existence में ला रहे हैं। उसे existence में लाकर, पुरुषों को तो आप कह रहे हैं कि criminal offence बनाकर उन्हें हम जेल में भेज देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रताड़ित इसमें महिलाएं होने वाली हैं। आप कहते हैं कि उन्हें मैजिस्ट्रेट कंपन्सेशन देंगे और एडीक्वेट कंपन्सेशन देंगे, आप कंपन्सेशन किससे दिलाएंगे? वे कहते हैं कि उनके हस्बैंड से दिलाएंगे। हस्बैंड को आप जेल भेज चुके हैं, तो उन्हें

कंपन्सेशन कौन देगा और उनका तथा उनके बच्चों का पोषण कौन करेगा ? इससे क्लियर है कि वे महिलाएं भी कहीं की नहीं रह जाएंगी।

महोदय, कंपन्सेशन देने की बात सरकार कर रही है, तो आप इस बिल में लाते कि सरकार उन्हें कंपन्सेशन देगी, सरकार उनके बच्चों की देख-रेख करेगी और यह जिम्मेदारी सरकार की होगी और उसके लिए सरकार अलग से एक फंड क्रिएट कर रही है, जिसके माध्यम से हम उन्हें खर्चा-पानी देते रहेंगे।

महोदय, महिलाएं अभी तक कोर्ट्स में नहीं जाती थी, इस प्रकार के मैटर्स कोर्ट में या मैजिस्ट्रेट्स के सामने नहीं जाते थे, बल्कि ये स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, जो फैमिली कोर्ट्स कहलाती हैं, जहां पर ये लॉज नहीं होते हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि उनका कोई भी जानने वाला, यानी रिश्तेदार पुलिस में यदि कंप्लेंट कर देगा, तो यह cognizable offence होगा और उसके हस्बैंड को तुरन्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा तथा उसकी बेल भी नहीं होगी। बेल देने से पहले भी उस महिला को मैजिस्ट्रेट के सामने जाना पड़ेगा। मैजिस्ट्रेट के सामने कंपन्सेशन के लिए जाना पड़ेगा, कितना adequate compensation होगा, इसके लिए proceedings चलेंगी। उस महिला को वकील की आवश्यकता पड़ेगी और वह यह तय कराएगा कि उसके लिए adequate compensation क्या होगा। पहले जो मैटर केवल फैमिली कोर्ट में होता था, जहां फैमिली डिस्प्यूट का एक अलग एनवायरनमेंट होता था, आपने उसे उठाकर एक दूसरी कोर्ट में पहुंचा दिया, जहां पर आम मुजरिमों के मामले होते हैं, वहां उस महिला की पेशी कराने लगे। उस महिला का जीवन तो आपने हमेशा के लिए खराब कर दिया।

महोदय, आपने कहा कि सज़ा तीन साल तक रहेगी और उसके बाद वे हस्बैंड और वाइफ की तरह रह सकेंगे। वे हस्बैंड वाइफ रहेंगे, लेकिन तीन साल जेल में रहेंगे। तीन साल के बाद जब, जेल से वापस आएं, तब क्या होगा? तब वाइफ और हस्बैंड की हैसियत से रहेंगे? क्या इस प्रकार से उनका परिवार चल पाएगा, क्या वे वाइफ और हस्बैंड की हैसियत से रह पाएंगे? इस प्रकार से देखें, तो आपने हस्बैंड का तो जीवन खराब कर ही दिया और एक वॉइड एक्शन पर, जो एक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, जो इल्लिगल है, जिसे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है, उसके लिए आपने एक्ट बनाकर, इसे आपने एक तरीके से नॉन-बेलेबल कर दिया है, क्योंकि जब तक महिला को सुना नहीं जाएगा, तब तक वे जेल में रहेंगे।

महोदय, इस बिल को लाकर आपने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है, जिससे कि हस्बैंड, वाइफ और पूरा परिवार ध्वस्त हो जाएगा। आप महिला के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे महिलाओं का प्रोटेक्शन नहीं होगा। अगर आप महिलाओं के प्रोटेक्शन की बात करते, तो आप बाकी महिलाओं के बारे में भी सोचते, तो अच्छा लगता। उन्नाव में कांड हुआ, इस तरह के बहुत से कांड देश के विभिन्न क्षेत्रों में हो चुके हैं, जहां कि रेप होता है, जो एक ऑफेंस है, उसके बाद मामला कोर्ट में जाता है। जो वकील कोर्ट में उस केस

[श्री सतीश चन्द्र मिश्रा]

की पैरवी कर रहा है, जो उसके पिता हैं, उसे थाने में जाकर, पीट-पीट कर मार दिया जाता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। एक पैरोकार चाचा था, उसे जेल में बन्द कर दिया गया। जब वह महिला उस चाचा से जेल में मिलने जा रही थी, तो उसके ऊपर भी जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसके कारण आज वह मरणासन्न अवस्था में पड़ी हुई है। उनके वकील भी मरणासन्न अवस्था में पड़े हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप महिलाओं के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, तो सारी महिलाओं के बारे में सोचिए। अतः इस तरह का जो बिल है, इसे वापस लीजिए। इस बिल से न पुरुषों को कोई फायदा होने वाला है और न महिलाओं को। अगर यह किसी और मकसद से लाया गया है, तो वह तो लॉ मिनिस्टर साहब ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन एक वॉइड एक्शन के बारे में, एक कानून बन रहा है, यह पहली बार हो रहा है, धन्यवाद।

DR. SONAL MANSINGH (Nominated): Sir, this is not my maiden speech. I want to remind the House and the Chair again. I don't want as to why it is called maiden and why not the bachelor speech. The great Tamil Saint Thiruvalluvar has said, "All men are children of women." Strangely, Sir, despite seventy plus years since Independence and Constitutional guarantee of no discrimination on the basis of gender or sex, women in India are still classified under four categories: Parsi, Christian, Muslim and Hindu. Today, I rise and speak only and only as a woman. Section 125 of Cr.P.C. includes all women, all communities. Since the Supreme Court order of 2018, about which so many lawyers and hon. Members have spoken, I am not a lawyer, I am just speaking as a citizen and as a woman—I believe and told by my women lawyer friends that the provision now is that unlimited amount can be fixed, of course, according to the financial situation over and above the amount of mahr. The long wait to receive maintenance is now almost over, I am told, because in the second hearing itself, the Judge orders the amount to be paid, fixes the amount. These are all the legalities which I do not wish to speak about too much because the legal processes will take their time. The Bill, of course, needs to be passed and I support it wholeheartedly. Yet, my Muslim sisters do not enjoy their rights to property, to adoption and their right to remain in the common household, that is the married house.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*)

सर, परिवर्तन तो होगा, परिवर्तन करना होगा। परिवर्तन नहीं, लेकिन परिवर्तन का विरोध पीड़ादायक होता है, इसीलिए मैं सबसे अपील करती हूँ कि परिवर्तन तो वैसे ही होना चाहिए, जैसे होते आ रहे हैं, क्योंकि,

"उल्फ़त बदल गई, तो नीयत बदल गई
 खुदगर्ज़ जब हुए, तो फिर सीरत बदल गई।
 अपना कसूर दूसरों के सर पर डाल के,
 कुछ लोग सोचते हैं कि हकीकत ही बदल गई।"

सर, मेरा यह कहना है कि औरत, जिसको श्री कहते हैं, वह प्रभु की सबसे उम्दा देन है। वह संसार बनाती है, संसार चलाती है, निभाती है, सब झेलती है, सम्भालती है, संवारती है, निखारती है, बिना उसके जिंदगी वैसे ही सूनी है, बेस्वाद है, जैसे बिना चीनी का हलवा।

सर, मुझे यह बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। सिर्फ दिखावे का, शोशेबाजी का बोलबाला है, लेकिन इत्र से कपड़ों को महकाया नहीं जा सकता, वह किया तो जा सकता है, लेकिन मजा तो तब आता है, जब खुशबू किरदार से जाए। According to me, certain things could be looked at parallelly—awareness creation. I believe, in metro cities, there are certain possibilities, there are certain opportunities. But in the *cashtas*, in the smaller towns, in the rural areas, the women's voice is very feeble. The male clerics—unfortunately, clerics are all men so far—they are the chief arbiters of every social, familiar issue. My suggestion, I am sure they are looking at it, is to open many, many more awareness centres, where women should be made aware of their rights and how they can get legal aid. I am told that the National Commission for Women needs to enrich its data because data collection is also a very important point. Of course, the hon. Minister for Law has also mentioned the number of cases. But there may be other number of cases which are not known or which have not come to the notice.

Parallelly, so many steps need to be taken to provide counselling centres and legal aid. In the end, I would like to just conclude very quickly that,

"शब्द-शब्द हर कोई कहे"

We are all so engrossed in our words, we create a web of words.

हम शब्दों के मायाजाल रचते रहते हैं,

"शब्द-शब्द हर कोई कहे
 शब्द के हाथ न पाँव"

And because a word does not have arms or legs, they just fly any which way in all directions.

"एक शब्द औषध करे"

[Dr. Sonal Mansingh]

One word like *prem*, like मोहब्बत like love, like friendship, सौजन्य, like सौहार्द, it can work like panacea. It can work like ambrosia. It can bring dead people to life. और एक शब्द करे घाव but, another word can hurt so deeply that one is almost dead, and here, Sir, I refer to the word *talaq*, *talaq*, *talaq*.

सर, कल रात जब मैं इस पर सोच रही थी, तो मैंने ये दो लाइनें लिखी हैं, जिन्हें मैं आपको सुनाना चाहती हूँ और आपके साथ share करना चाहती हूँ। मैंने लिखा, ...(व्यवधान)... आप भी लिखते हैं, मैं भी कभी-कभी थोड़ा लिख लेती हूँ।

"न करो ऐसा कि टूट जाएँ सब सपने और मुरझाएँ अरमान,
उजड़े दिलों की महफिलें, जिससे बन जाए घर वीरान, न करो ऐसा।"

Sir, I would like to say कि कबीर कह गए, and I think, we all need to understand that woman is called the weaker sex. When it suits, as we say, woman is strong, her aatam bal is so tremendous that she can tolerate anything. But, Sir, otherwise, woman is called the weaker sex. Therefore, Kabir has said:

"निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय,
मुई खाल की आह सों, लौह भसम हो जाए।"

इसलिए निर्बल को न सताओ, woman को न सताओ, औरत को न सताओ, पत्नी को न सताओ। सर, मेरा यही कहना है कि कबीर के शब्दों में जो भार है, जो भाव है, उसको सभी को समझना चाहिए।

सर, अंत में मेरा आखिरी वाक्य है कि "मुझे जानो, मुझे मानो, मुझे बूझो, मुझे समझो"। Woman is there to be loved, to be respected, to be admired, and to be cherished. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri K.T.S. Tulsi —not present. Mir Mohammad Fayaz.

मीर मोहम्मद फ़ैयाज (जम्मू-कश्मीर): डिप्टी चेयरमैन सर, मैं इस बिल के विरोध में खड़ा हूँ। बहुत अच्छा लगा कि 70 सालों के बाद आज हमारी सरकार को मुसलमान औरत याद आई। इसलिए मैं अपने मंत्री साहब को और इस हुकूमत को मुबारकबाद देता हूँ कि 70 सालों के बाद कम से कम मुसलमान औरत की याद आई। यहाँ हमारे बहुत सारे एमपी साहेबान ने एक बात की। काश ! मैं अपने कश्मीर की बात करूँगा, हमारे कश्मीर में एक

لاکھ بےوا ہیں۔ جس ڈسٹرکٹ میں میں رہتا ہوں، اس ڈسٹرکٹ کا نام کپواڑا ہے۔ اس کپواڑا میں ایک گاؤں ہے، اسکا نام ہے - دہرپورا۔ اس دہرپورا میں 422 بےوائے ہیں، ہزاروں یتیم بچے ہیں۔ ہمارے کشمیر میں ایسے لاکھوں گھرانے ہیں۔ وہاں پچھلے 30 سال سے جو لڑائی چل رہی ہے، وہاں کی ہماری بھینے-ہماری مائےں آج بھی انتظار کر رہی ہیں کہ شاید کبھی اس گھرانے میں یا اس گھرانے میں ہماری بھی بات ہوگی۔ آج یہاں پر مسلمان خواتین کی جو بات ہو رہی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے کہ پہلے ان بےوائوں کی بات ہوتی، جنکے یتیم بچے آج بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ...**(سماں کی گھنٹی)**...

سر، دو-تین منٹ دیجیے، میں جیادہ نہیں کہوںگا۔ ہمارے کشمیر میں کونن-پوشپورا میں ایک واقعہ ہوا، جہاں 40 خواتین کے ساتھ جیادتی ہوئی۔

20 سال ہو گئے، لیکن کسی نے انکی بات نہیں کی۔ کاش یہاں اگر، Shopian میں Asia اور Neelofar کے ساتھ جو جیادتی ہوئی، ہلاکتار ہوا، انکی بات ہوتی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان اورتوں کے ساتھ ہمدردی کے لیے یہ بیل لایا گیا ہے۔ کاش یہاں اگر، کٹوا میں آسفا کا جو کیس ہوا، اس بچی کی بات ہوتی، اس کے لیے یہ بیل لایا جاتا ہے کہ ایک ماسم بچی کے ساتھ جیادتی ہوئی ہے، تب ہم مانتے ہیں کہ یہ مسلمان اورتوں کے ساتھ ہے۔

یہاں اسی سنجے جی نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم آرا 355 اور آرا 370 کو بھی ہٹانے والے ہیں۔ اگر مسلمانوں کے ساتھ آپکی ہمدردی ہوتی، میں یہ تب مانوں گا کہ پچھلے کچھ دنوں سے ...**(سماں کی گھنٹی)**... ایک منٹ، سر، یہ مسلمانوں کی بات ہے!...**(بجھان)**...

† جناب می محمد فیاض (جموں-کشمیر): ڈپٹی چیرمین سر، میں اس بل کی مخالفت میں

کہتا ہوں۔ بہت اچھا لگا کہ ستر سالوں کے بعد آج ہماری سرکار کو مسلمان عورت یاد آئی۔ اس لیے میں اپنی منبری صاحبہ کو اور اس حکومت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ستر سالوں کے بعد کم سے کم مسلمان عورت کی یاد آئی۔ یہاں ہمارے بہت سارے اچھے-صاحبان نے ایک بات کی۔ کاش! میں اپنے کشمیر کی بات کروں گا، ہمارے کشمیر میں ایک لاکھ بیوہ ہیں۔ جس ڈسٹرکٹ میں میں رہتا ہوں، اس ڈسٹرکٹ کا نام کپواڑا ہے۔ اس کپواڑا میں ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے - دہرپورا۔ اس دہرپورا میں 422 بیوائے ہیں، ہزاروں یتیم بچے ہیں۔ ہمارے کشمیر میں اسے لاکھوں پرآر ہیں۔ وہاں بچھلے یتیم

[मीर मोहम्मद फैयाज]

सालों से जो लڑाई चल रही है, وہاں کی ہماری بہری ہماری ماہی آج بھی انتظار کر رہی ہے کہ شاید کبھی اس ہاؤس میں اس ہاؤس میں ہماری بھی بات ہوگی۔ آج یہاں پر مسلم خواتین کی جو بات ہو رہی ہے، بڑا اچھا لگتا کہ پہلے ان عورتوں کی بات ہوئی، جن کے پیچھے آج بھی انتظار کر رہے ہیں۔ (وقت کی گھنٹی)۔۔۔

سر، دو-تین منٹ دیجئے، میں زیادہ نہیں کہوں گا۔ ہمارے کشمیری میں کتنے پوشپورا میں ایک واقعہ ہوا، جہاں چالیں خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی۔
تین سال ہو گئے، لیکن کس نے ان کی بات نہ کی۔ کاش یہاں اگر، شوہن میں آئیے اور رٹوفر کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، بلا تکرار ہوا، ان کی بات ہوئی، تم ہم سمجھتے کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ ہمدردی کے لئے یہ بل لایا گیا ہے۔ کاش یہاں اگر، کٹھوا میں آصفہ کا جو کہیں ہوا، اس بچی کی بات ہوئی، اس کے لئے یہ بل لایا جاتا کہ ایک معصوم بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تب ہم مانتے کہ یہ مسلمان عورتوں کے ساتھ ہے۔

یہاں ابھی سنجے جی نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم دھارا 35 اے اور دھارا 370 کو بھی ہٹانے والے ہیں۔ اگر مسلمانوں کے ساتھ آپ کی ہمدردی ہوئی، میں یہ تب مانوں گا کہ پچھلے کچھ دنوں نے۔۔۔ (وقت کی گھنٹی)۔۔۔ ایک منٹ، سر، یہ مسلمانوں کی بات ہے۔۔۔ (مداخلت)۔۔۔

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are not allowed to speak. Please take your seat.
فैयाج جی، आप बोलें।

मीर मोहम्मद फैयाज: सर، तीन दिन पहले की बात है, कश्मीर में 10,000 टूप्स भेजे गए। मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले भी टूप्स भेजे गए... (व्यवधान)... सर, मैं वही पहुंचूंगा, अभी मुझे अपनी बात करने दीजिए।... (व्यवधान)...

† مے محمد فطیض (جموں-کشمیر) : سر، نئی دن پہلے کی بات ہے، کشمیر مے دس ہزار ٹروپس بھیجے گئے ہیں۔ مے صرف آج کی بات نہی کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی ٹروپس بھیجے گئے۔۔۔ (مداخلت)۔۔۔ سر، مے وہاں پہنچوں گا، ابھی مجھے اپنی بات کرنے دینے۔۔۔ (مداخلت)۔۔۔

श्री उपसभापति: कृपया बीच में न बोलें, प्लीज ... (व्यवधान)... फैयाज जी, आप बोलिए और कन्क्लूड कीजिए।

मीर मोहम्मद फैयाज: मैं यह बता रहा हूँ कि मुसलमानों के प्रति आपकी कितनी हमदर्दी है। ... (व्यवधान)... मैं बताता हूँ। ... (व्यवधान) ...

† جناب مے محمد فطیض : مے یہ بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کے تھے آپ کی کتیری ہمدردی ہے۔۔۔ (مداخلت)۔۔۔ مے بتاتا ہوں۔۔۔ (مداخلت)۔۔۔

श्री उपसभापति: प्लीज, आप कन्क्लूड करें। ... (व्यवधान)...

मीर मोहम्मद فैयाज: वहां पर रेलवे वाले अलग एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। हमारे स्टेट में खौफ और दहशत फैलाई गई है। इस कंट्री में वही एक Muslim majority State है और उसी Muslim majority State में इतना खौफ और दहशत फैलाई गई है कि वहां कोई बात ही नहीं कर रहा है। ... (समय की घंटी)...

† جناب مے محمد فطیض : وہاں پر ریلوے الگ ایڈوائزری جاری کر رہے ہیں۔ ہمارے اسٹیٹ مے خوف اور دہشت پھیلائی گئی ہے۔ اس کتیری مے وہی ایک مسلم مچورٹی اسٹیٹ ہے اور اسی مسلم مچورٹی اسٹیٹ مے اتنا خوف اور دہشت پھیلائی گئی ہے کہ وہاں کوئی بات ہی نہی کر رہا ہے۔۔۔ (وقت کی گھنٹی)۔۔۔

श्री उपसभापति: फैयाज जी, आप कन्क्लूड कीजिए। ऑलरेडी आपके दो मिनट अधिक हो गए हैं। ... (व्यवधान)...

मीر मोहम्मद فैयाज: अगर उस पर बात होती, तो हम मानते, लेकिन उस पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। यहां धारा 35ए और धारा 370 की बात हो रही है। ... (समय की घंटी) ... धारा 35ए और धारा 370 की बात मत कीजिए, हम मरेंगे, लेकिन उसको हटने नहीं देंगे। ये हमें यही से मिले हैं। ये हमें पाकिस्तान ने नहीं दिए हैं। ... (व्यवधान)...

[मीर मोहम्मद फैयाज]

اُجناب می محمد فیاض : اگر اس پر بات ہوئی، تو ہم مانتے، لیکن اس پر کوئی بھی بات نہی کر رہا ہے۔ وہاں دھارا 35 اے اور دھارا 370 کی بات ہو رہی ہے۔۔۔ (وقت کی گھنٹی)۔۔۔ دھارا 35 اے اور دھارا 370 کی بات مت کیجئے، ہم مری گئے، لیکن اس کو بٹھے نہی دی گئے۔ یہ ہمیں یہی سے ملے ہی، یہ ہمیں پاکستان نے نہی دئے ہی۔۔۔ (مداخلت)۔۔۔

श्री उपसभापति: आप कन्क्लूड करें, आपका समय खत्म हो गया है।... (व्यवधान)...

मीर मोहम्मद फैयाज: धारा 35ए और धारा 370 हमें अपने देश ने दिए हैं। आज यहां पर यह जो बिल आया है, हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, ताकि इसमें जो नाइंसाफी है कि तीन साल के लिए आप husband को जेल में भेजोगे, ऐसे में उस परिवार का ख्याल कौन रखेगा?... (समय की घंटी)...

جناب میر محمد فیاض : دھارا 35 اے اور دھارا 370 ہمیں اپنے دیش نے دئے ہیں۔ آج یہاں پر یہ جو بل آیا ہے، ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کو سلیکٹ کمیٹی میں بھیجا جائے، تاکہ اس میں جو ناانصافی ہے کہ تین سال کے لئے آپ ہسبینڈ کو جیل میں بھیجو گئے، ایسے میں اس پریوار کا خیال کون رکھے گا۔۔۔ (وقت کی گھنٹی)۔۔۔

श्री उपसभापति: फैयाज जी, अब आप खत्म करिए, मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। ऑलरेडी आपके तीन मिनट ज्यादा हो गए हैं।

मीर मोहम्मद फैयाज: थैंक यू, सर।

† اب میر محمد فیاض : تھینک یو، سر۔

SHRI HISHEY LACHUNGPA (Sikkim): Sir, on behalf of the Sikkim Democratic Front party, I support the *triple talaq* Bill brought by the Government to provide gender justice and equality to women. However, the said proposed Bill should not be misused or otherwise adversely affect the interests or rights of any individual or any section of our society in any manner whatsoever. My party believes in the ideology of providing overall justice and empowering our women socially, economically and politically.

Empowerment of women is empowerment of the nation as the Indian women are the backbone of the country. Thank you, Jai Hind.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Naresh Gujral is absent. Shri Binoy Viswam, please.

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, in politics, there are crocodiles. Sometimes they come even to Parliament also to shed tears. In this Bill, we can see those tears, Sir. All of a sudden, an ideology which always preached that all Muslims should go to Pakistan, comes to say that empowerment of Muslim women is very important. All of a sudden. They are killing the Muslims everywhere. Irrespective of men and women, they kill Muslims. They preach an ideology telling 'one nation one religion' and so on and so forth. That ideology, when comes to Parliament saying that it is for the protection of Muslim women rights, nobody can believe it. That is why, we, from the Communist Party of India, object to this Bill.

We demand that this Bill be referred to a Select Committee for appropriate scrutiny. Sir, I would like to ask the Government two names. One name is Zakia Jafri and the other name is Bilkis Bano. Both of them are women and Muslim women. Sir, they have no husbands. They are not divorcees. Husbands were killed by an ideology which is preaching supremacy for a special religion and special thoughts. They killed their husbands. Will the Government come to the rescue of these two Muslim women? Will they come? Why is this Bill coming up now? The moment the Supreme Court had its verdict on Shayara Bano's case in 2017, *triple talaq* is dead. From that day onwards it is null and void. Now, the Government is trying to stab again and again a dead body with a dagger and the name is, this Bill. So, this is a fantastic political drama. The drama is to tell that we are the only saviours of the Muslim women which you are not. Sir, what about the Hindu women? Kindly forgive me. What about the Hindu women empowerment? I ask the friends in the BJP whether women are allowed to have a membership in RSS. No. They have *Rashtriya Swayamsevika Sangh* for women. Where is women empowerment in the RSS? Why can't they give equal status for membership in the RSS? ...(*Time-bell rings*)... Such questions are there. This Bill is arbitrary in the eyes of law and this Bill is a misadventure politically. Sir, this Bill is out and out hypocritical. This Bill, being violative of Article 14, is unconstitutional. Hence, I demand that this Bill be referred to a Select Committee. Thank you.

श्री राकेश सिन्हा (नाम निर्देशित): उपसभापति महोदय, मैं सुबह से इस बिल पर बहस सुन रहा था और अभी हमारे वामपंथी साथी ने इस बिल के बारे में कुछ कहा। मैं उनको याद दिला दूँ कि 1986 में जब लोक सभा में मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन बिल पर बहस हो रही थी, तब आपकी ही पार्टी के सोमनाथ चटर्जी, इंद्रजीत गुप्ता, गीता मुखर्जी, ये सभी उस प्रोटेक्शन बिल का विरोध कर रहे थे। वे यह कह रहे थे कि ऐसा करके आप समाज को पीछे ले जा रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वामपंथ में प्रगतिशीलता आ रही है या वे पीछे जा रहे हैं। सोमनाथ चटर्जी जी सीपीएम के थे, मैं यह बता रहा हूँ।

[श्री राकेश सिन्हा]

उपसभापति महोदय, मैं एक वाक्य का जिक्र करना चाहता हूँ। 1986 में जब मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन बिल पर लोक सभा में बहस चल रही थी, तब मधु दंडवते साहब बहस में भाग ले रहे थे। मधु दंडवते साहब के दर्शन को हम जानते हैं- प्रगतिशीलता। समाज को आगे बढ़ाने में उनका योगदान हम सब जानते हैं। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया था। यह घटना खास करके हमारे कांग्रेस के मित्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। यह घटना उस प्रधान मंत्री जी की आँखों में आंसू आने की घटना है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आँखों में आंसू क्यों आये थे? आज आपके पास अवसर है। राजीव जी की आँखों में जो आंसू आये थे, उसको पोंछने का अवसर आपके पास है। यह स्वर्णिम अवसर प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी आपको दे रहे हैं। आप राजीव जी को आज श्रद्धांजलि दीजिए, उनके आंसू को पोंछ कर। मैं मधु दंडवते जी को उद्धृत कर रहा हूँ। मुस्लिम महिलाओं की एक टीम राजीव जी से मिलने गयी। एक युवती ने राजीव जी से जो कहा, उस समय मीडिया भी विद्यमान थी। उस युवती ने राजीव जी से कहा कि मुझे तीसरी बार तलाक दिया गया है, आप देश को 21वीं शताब्दी में ले जाने की बात कर रहे हैं, मुझे ध्यान है, उस समय राजीव जी ने 21वीं शताब्दी में देश को ले जाने की बात कही थी, फिर आप हमें छठी शताब्दी में क्यों धकेल रहे हैं ? इसके आगे उस युवती ने तत्कालीन प्रधान मंत्री जी से कहा कि तीन तलाक के बाद, मेरे parents ने मुझे नहीं बचाया, मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने नहीं बचाया, अब मेरे पास दो ही विकल्प हैं – Either I should live life of a prostitute or commit suicide. यह सुनते ही राजीव जी की आँखों में आंसू आ गए। उपसभापति महोदय, राजनीति बहुत क्रूर होती है। राजनीति में सत्ता पाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए और वोट पाने के लिए सबसे पहले हम अपनी संवेदनशीलता को रौंदते हैं। यदि आंसुओं की कीमत होती तो राजीव जी 1986 में आरिफ मोहम्मद खां के साथ खड़े होते, लेकिन उस समय आरिफ मोहम्मद खां की बलि चढ़ा दी गई। जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का था, भारतीय धर्म-निरपेक्षता का epitome बना, उन्होंने उस समय जो कहा, मैं उसे quote करता हूँ, ...(व्यवधान)... I should lead life as prostitute or commit suicide.

AN HON. MEMBER: Sir, he cannot take the names.

SHRI RAKESH SINHA: Sir, it is a 'historical' name. I will take Shri Arif Mohammad Khan's name hundred times. He had become a part of history. He is a part of secular discourse. His name cannot be ignored in any discourse or in any debate. ...(व्यवधान)... आरिफ जी ने कहा कि पार्टी का व्हिप है, इसलिए मतदान तो मैं पार्टी के कहने पर करूंगा, लेकिन मेरा मत नहीं बदला है। जो कानून बनाया जा रहा है, उससे मुस्लिम महिलाओं को pre-islamic era में भेजा जा रहा है, जिससे उनकी स्थिति जानवरों जैसी हो जाएगी। आरिफ जी के ये शब्द लोक सभा की debate में हैं। जैसे pre-islamic era में महिलाओं को सम्पत्ति का हिस्सा समझा जाता था, वैसे ही अब भी सम्पत्ति की हिस्सा समझा जाएगा। मैं आज उस कहानी की याद दिलाना चाहता हूँ क्योंकि पूरी दुनिया हमें देख रही है। इस देश

में दो बड़ी घटनाएं घटी - 1949 में जब हिन्दू कोड बिल लाया गया, उसी सभा में बैठे कई हिन्दू विद्वान, हिन्दू धर्म से जुड़े हुए कई नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि हिन्दू धर्म की destruction का रास्ता खोला जा रहा है। स्वयं भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने प्रधान मंत्री नेहरू जी को पत्र लिखकर हिन्दू कोड बिल का विरोध किया था। फिर भी पूरे देश ने एकमत होकर हिन्दू कानून का codification किया, ताकि हिन्दू महिलाओं को न्याय मिल सके। ...**(व्यवधान)**... यहां सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि सवाल प्रक्रिया का है, परिणाम का है। उस घटना के बाद, मैं यहां एक बात का जिक्र करना चाहता हूं कि आचार्य जे. बी. कृपलानी ने अपने भाषण में कांग्रेस के प्रति क्या कहा था? जे. बी. कृपलानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक नहीं थे। वे भारतीय जनसंघ के नेता भी नहीं थे। जे. बी. कृपलानी जी गांधीवादी थे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे। उस समय जे.बी. कृपलानी ने नेहरू जी से कहा था, मैं यहां उनके शब्दों को उद्धृत करता हूं - It is not only the Hindu Mahasabha which is communal, you, the Government, are also communal. भारत राष्ट्र भी साम्प्रदायिक है। आप समाज के एक वर्ग के लिए तो कानून बना रहे हैं, शेष वर्गों की महिलाओं को क्यों छोड़ रहे हैं? उस समय जे. बी. कृपलानी जी का संकेत मुस्लिम महिलाओं की तरफ था। उसके बाद 1986 में जो घटना घटी, कुछ सेकेंड्स में मैं यहां उसका जिक्र करना चाहता हूं। मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि 1932 में एक महिला की शादी होती है और 1975 में उस महिला को घर से बाहर कर दिया जाता है। 1975 में घर से बाहर होने के बाद, वह महिला इंदौर की कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और 500 रुपए दिलाने का आग्रह करती है क्योंकि उसके शौहर की वार्षिक आमदनी 60,000 रुपए थी। वह सिर्फ पांच सौ रुपए मांगती है। कोर्ट ने उसे 25 रुपए दिए। स्वीकार्य नहीं था। उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील हुई, हाई कोर्ट ने उसे बढ़ा कर 179 रुपए कर दिया। स्वीकार्य नहीं था। जब न्यायालय उस महिला के साथ खड़ी हो रही थी, तो अंतिम सहारा शरीयत का लिया गया। उस शाह बानो को तलाक दे दिया गया। तलाक, तलाक, तलाक के बाद तलाक देकर कहा गया अब हम शरीयत से प्रोटेक्टेड हैं। कोई कानून नहीं आ सकता है। फिर सर्वोच्च न्यायालय आया। मैं इसके साथ सरला मुद्गल केस को जोड़ते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। सरला मुद्गल केस में जस्टिस कुलदीप सिंह जी ने कहा था, "There is no relationship between religion and personal law, in any civilized society". किसी भी सभ्य समाज में ...**(समय की घंटी)**...

श्री उपसभापति: पार्टी के द्वारा आपके लिए जो समय तय था, वह 8 मिनट का था, इसलिए अब आप conclude करें।

श्री राकेश सिन्हा: सर, मैं conclude करता हूं। किसी भी सभ्य समाज में पर्सनल लॉ और religion का संबंध नहीं होता है और शाह बानो केस में यह कहा गया कि आपने आर्टिकल 44 को dead letter बना दिया है।

उपसभापति महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए यह कहना चाहता हूं कि यह कानून नहीं बनने से हिन्दुस्तान में और बाकी इस्लामिक मुल्कों के अंतर में क्या अंतर

[श्री राकेश सिन्हा]

है? Crude divorce rate निकालने का एक formula होता है। जॉर्डन, जो इस्लामिक देश है, वहां यह per thousand 2.6 है, कुवैत में 2.2 है, इजिप्ट में 1.9 है, लेबनान में 1.6 है, आप उससे नीचे आ जाइए, बहरीन में 0.07 है और अंत में लीबिया में 0.03 है और भारत में यह मुस्लिमों के बीच divorce का रेट 3.7 है। ...**(समय की घंटी)**... मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यदि आप मुसलमान महिलाओं को dignity देना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं, संवैधानिक अधिकार देना चाहते हैं, तो आप इस बिल का समर्थन कीजिए। यह मजबूती के लिए और मजबूर बनाए रखने, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, वे मुस्लिम महिलाओं को मजबूर बना कर रखना चाहते हैं और जो इसको समर्थन दे रहे हैं, वे मुस्लिम महिलाओं को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं। ...**(समय की घंटी)**... यह मजबूती और मजबूरी के बीच की लड़ाई है। पूरा हिन्दुस्तान देख रहा है। ...**(समय की घंटी)**... जो काम आपने शाह बानो के समय में किया, वही काम मत कीजिए। ...**(समय की घंटी)**...

श्री उपसभापति: धन्यवाद, राकेश जी।

श्री राकेश सिन्हा: मुस्लिम महिलाओं को उन दो विकल्पों में मत छोड़िए कि मैं वेश्यावृत्ति की जिन्दगी बिताऊं या मैं आत्महत्या कर लूं। ये दो विकल्पों के साथ मत छोड़िए। ...**(समय की घंटी)**... मेरा आपसे आग्रह है कि अपनी विचारधारा को बदलिए। ...**(समय की घंटी)**... राजनीति की आंखों में जो सियासी आंसू था, उसको पोंछने का काम कीजिए, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri S.R. Balasubramoniyam. You have one minute. Your party time is already over, but hon. Chairman has permitted you.

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN: Mr. Deputy Chairman, Sir, in the morning, I moved a Motion for referring this Bill to a Select Committee. This Bill is not acceptable to us because it violates the Constitution and you are unnecessarily touching the Personal Law of Muslims. So, this is not acceptable to us. This is not acceptable to anyone. Most of us want that this should be referred to a Select Committee. But, as the Government is not accepting our proposal, we are staging a walk-out.

(At this stage some hon. Members left the Chamber)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Kanakamedala. ...*(Interruptions)*... Shri Kanakamedala. ...*(Interruptions)*... Shri Kanakamedala. ...*(Interruptions)*... Mr. Vaiko, please be on your seat. ...*(Interruptions)*... Mr. Ravindra Kumar Kanakamedala. ...*(Interruptions)*...

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Hon. Deputy Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to participate in the debate.

Sir, the Statement of Objects and Reasons of the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill reasons are there with regard to *talaq* to be void and illegal, but it does not specify the reasons for introducing Clause 4 with regard to penal provision, which says, "Any Muslim husband who pronounces *talaq* referred to in Clause 3 upon his wife shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine". No reason has been mentioned in the Statement of Objects and Reasons. I do not know, without assigning any reason and without any object, how Clause 4 was introduced in this Bill. Clause 7(a) states that pronouncing *talaq* is a punishable offence and it is cognizable. Clause 7(b) states that offence of *talaq* can be compounded at the instance of a Muslim woman upon whom *talaq* has been pronounced. Clause 7(c) prescribes stringent provision for releasing a husband on bail who has pronounced *talaq* on his wife. This Bill criminalizes a civil act. Marriage is a civil contract. There are several other religions. In Hindu Marriage Act, Christian Marriage Act and Special Marriage Act, there are provisions. A Hindu woman who is living separately can file a petition for restitution of conjugal rights. She is also entitled to file a petition for divorce. And, there is no penal provision as per the Hindu law and also the Christian law. Why is this discrimination? This discrimination should not be there. This Bill discriminates between Muslim men and the men belonging to other communities. This Bill makes the act of pronouncing triple *talaq* a criminal act. The Bill directly infringes the provisions of Article 14—Equality before law; Article 21—Protection of life and personal liberty; Article 26—Freedom to manage religious affairs; and also Article 29—Protection of interest of minorities. If the Government showed some amount of interest in passing this Bill and implementing the recommendations of Sachar Committee Report, certainly, the socio-economic conditions of the Muslim minorities would have increased to a considerable extent. The interest which the Government is showing in passing this Bill is a part of women empowerment, if woman empowerment is the consideration, then, we are ready and willing to support the Women Reservation Bill. The Women's Reservation Bill has to be introduced in this House. There is no urgency to pass this Bill. That also can be passed by this House. I vehemently oppose this Bill because of the penal provisions. A woman has a right to live with dignity. It is a civil contract between the parties, wife and husband; it cannot be penalised. On one hand you are penalising, on the other hand, the power to determine the maintenance and also custody of children is being given to the Magistrate, which is unconstitutional. So, in view of these provisions, I would request the Minister to withdraw the Bill, and after deleting these provisions, reintroduce the Bill. Thank you, Sir.

SHRI NARESH GUJRAL: Mr. Deputy Chairman, Sir, it is ironic that those parties and people who very strongly demand reservations in both Parliament and State Assemblies for women are today the most vocal critics of this Bill, which seeks to provide greater equality, liberty and honour to our Muslim women. The very act of triple *talaq* belittles the status of Muslim women, and every man who violates their dignity and their fundamental rights must be punished. Many Muslim women constantly live in fear and many of those who have been victims of triple *talaq* are literally on the road. I know of one such case, of one Nazia Naaz, daughter of Abul Fazal, who lives in Okhla. This young lady was a physiotherapist earning five-digit salary. She got married about two-and-a-half years ago. Unfortunately, for her, a year later, she got some kind of viral which led to kidney failure. Her mother agreed to donate her kidney, but the husband's family decided that they should separate, and this poor girl was given triple *talaq* and she was left on the road. Not only this, the gifts that she received, including a car at her wedding, were not returned. They went from pillar to post, but nobody paid any attention because this was a civil offence and not a criminal offence. Sir, I am glad that this law has finally criminalized Triple Talaq. This may put some fear of *Allah* in those minds who have misused it for centuries. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. Please.

SHRI NARESH GUJRAL: I will come to that, Sir.

At the same time, I also appreciate that the Government has included certain safeguards such as provision for bail for the accused before the trial along with provisions of *locus standi* under Clause 7(c) of the Bill.

Sir, when Sati was abolished, there was a huge hue and cry in the country. Similarly, when the Sharda Act, 1929 was brought in, it was opposed at that time. The Dowry Act, the Domestic Violence Act—they all faced opposition. But, Sir, if the society has to evolve, we must make sure and disregard such criticism.

Sir, I would urge my friends to kindly do not look at this through the prism of religion. ...*(Time-bell rings)*... This is a social reform and, Sir, I want to point out what Guru Nanak Dev Ji said more than 500 years ago. Guru Nanak Dev Ji at that time said, "सो क्यों मंदा आंखिए, जित जमे राजान।" He said at that time, 'Give equal status to women'; and, Sir, I want to say in the end, Karl Max famously said, and I quote, "Social reforms are never carried out by the weakness of the strong but always by the strength of the weak."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI NARESH GUJRAL: So, the law indeed is a victory of all those Muslim women who have suffered in silence for centuries, and I congratulate the Government and the Law Minister for ushering in a new dawn in the lives of our Muslim sisters and daughters. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri K.K. Ragesh. Rageshji, your Party has already used two minutes more than the allocated time. Even then the hon. Chairman has permitted you for two minutes. Two minutes.

SHRI K.K. RAGESH: Sir, the hon. Minister was saying that it is a historic day. I don't think that it is a historic day. It is a dark day. Sir, it is a day that we are making an assault on plurality and secular fabric of our country. Sir, Triple *Talaq* has already been banned, is already made null and void by the Supreme Court. But, unfortunately, the Government is using the Supreme Court verdict to target a community as Hitler and Mussolini had done. I am sorry to say that. Sir, you see the name of the Bill; Muslim Women Protection. Ridiculous, Sir. You don't want to protect Hindu women; you don't want to protect Christian women, you don't want to protect Parsi women, you don't want to protect Sikh women. Why are you so eager in protecting Muslim women?

Sir, we must understand, the country must understand the hidden agenda of the BJP Government in bringing in this particular legislation. Sir, they are sending, provisions are made to send, Muslim women's husbands to jail and they are saying, the Government is saying that it is protection. What kind of protection is it, Sir? Do we have any personal law that has got penal provisions? What is the Government doing? The hon. Minister was saying that it is on the direction of the Supreme Court. Which Supreme Court has directed it? Sir, the judgement means, it is the majority judgement. The Supreme Court judgement on Triple *Talaq* had never directed the Government to bring in a legislation. Unfortunately, the hon. Minister is misleading the House because you cannot quote a minority judgement in that way. The majority judgement had never directed the Government to bring a legislation. Yes, the Supreme Court had asked the Government to bring legislation on various issues. Minorities are being targeted in our country in the name of lynching. ...*(Time-bell rings)*... From Mohammed Akhlaq to numerous minority individuals are being attacked, killed and the Supreme Court had directed to bring a legislation. Where is the legislation?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Rageshji, please conclude.

SHRI K.K. RAGESH: Why are you not bringing the legislation?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Rageshji, please conclude. I am calling the next speaker.

SHRI K.K. RAGESH: On criminalization of politics, the Supreme Court had directed the Government to bring a legislation. But where is the legislation?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI K.K. RAGESH: The Government is not doing that. But unfortunately they are so eager in bringing a legislation that protects Muslim women. It is ridiculous. Ridiculous.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Sanjay Singh; two minutes.

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली): उपसभापति महोदय, आपने मुझे इस विषय पर अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, भाजपा की सरकार मुस्लिम महिलाओं को न्याय देना चाहती है, यह बात सुनकर अपने-आप में हंसी आती है। वे लोग मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए चिंतित हैं, जिन्होंने वर्ष 1952 से लेकर आज तक विधान सभा के चुनाव हों, चाहे लोक सभा के चुनाव हों, किसी भी चुनाव में मुस्लिम महिलाओं को टिकट देने का काम नहीं किया, न मंत्री बनाया, न विधायक बनाया और न ही सांसद बनाया। जहां सत्ता में अधिकार देने की बात आती है, आप वर्ष 1952 से लेकर अब तक का इनका इतिहास खुद पलट लीजिए, किसी दूसरे को पलटने की ज़रूरत नहीं है, आपने उनको सत्ता में क्या अधिकार दिए हैं, यह ज़रूर बताइए।

मान्यवर, दूसरी बात यह कि अगर आप मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए चिंतित हैं, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इख्लाक की पत्नी को न्याय दिलाइए, आप पहलू खान की मां को न्याय दिलाइए, आप तबरेज़ की पत्नी को न्याय दिलाइए और आप झारखंड में मॉब लिंगिंग में मारे गए लोगों की माताओं और बहनों को न्याय दिलाइए। न्याय देने की बात तो दूर है, उन मॉब लिंगिंग करने वाले कातिलों को सरकार के मंत्री माला पहनाकर सम्मानित करते हैं, आप कैसे मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाएंगे? आप मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने की बात कह रहे हैं। उन्नाव में क्या हुआ? एक रेप पीड़िता को जान से मारने की कोशिश की गई, उसके पिता को मार दिया गया, उसकी मां को मार दिया गया, उसकी मौसी को मार दिया गया और उसको जान से मारने की कोशिश की गई। वह तो हिन्दू थी। उस रेप के, बलात्कार के आरोपी से मिलने सरकार के एक सांसद जेल में जाते हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई और नहीं हो सकती।

मान्यवर, मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ और सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप कानून में भेद मत कीजिए, हिन्दू हत्या करेगा तो उसके लिए अलग कानून होगा ...(व्यवधान)... मुस्लिम हत्या करेगा तो उसके लिए अलग कानून...महोदय, अभी तो सिर्फ दो मिनट ही हुए हैं।

श्री उपसभापति: आपको दो मिनट का ही समय दिया गया है।

श्री संजय सिंह: उपसभापति महोदय, हिन्दू हत्या करेगा तो उसके लिए अलग कानून होगा, मुस्लिम हत्या करेगा तो उसके लिए अलग कानून होगा। मान्यवर, ये काम मत कीजिए। मान्यवर, जहां तक तीन साल की सज़ा का प्रावधान है, यह अपने आप में अन्यायपूर्ण है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कानून बना रहे हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कानून बना रहे हैं तो वर्ष 2018 में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मॉब लिचिंग के खिलाफ कानून बनाने के लिए फैसला दिया है। आप इस सदन के सत्र को और बढ़ाएँ और मॉब लिचिंग के खिलाफ सख्त कानून इस सदन में पास कीजिए। हम लोग आपका समर्थन करेंगे।

मान्यवर, आप महिलाओं को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, मुझे इस सदन में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए नहीं, बल्कि उन महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: संजय जी, आप अपनी बात खत्म कीजिए।

श्री संजय सिंह: सर, सिर्फ दो मिनट का समय दे दीजिए।

श्री उपसभापति: आप अपनी बात खत्म कीजिए, ऑलरेडी तीन मिनट हो चुके हैं।

श्री संजय सिंह: सर, मैं अंतिम एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। आप उन महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं, जो गोडसे के लिए ज़िन्दाबाद का नारा लगाती हैं, उन महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं, जो महिलाएं देश के महान शहीद हेमन्त करकरे को देशद्रोही कहने का काम करती हैं, आप उन महिलाओं को न्याय दिलाने की बात करते हैं। मान्यवर, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ...(व्यवधान)... आज आप क्या कर रहे हैं, यह दिखाई पड़ रहा है। अंत में मैं एक आंकड़ा पढ़कर अपनी बात खत्म करूंगा। एन.सी.आर.बी का डेटा है कि वर्ष 2015 के मुकाबले 82 प्रतिशत बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं इस देश में बढ़ी हैं, वर्ष 2015 में 38,947 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं दर्ज की गई हैं और Thomson Reuters Foundation Poll की वर्ष 2018 की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि वर्ष 2018 में हिन्दुस्तान को दुनिया की सबसे dangerous country महिलाओं के लिए बताया गया है। ...(व्यवधान)... यह हम सबके लिए व सरकार के लिए शर्म की बात है।

श्री उपसभापति: श्री बीरेन्द्र बैश्य ...(व्यवधान)... आप अपनी बात conclude कीजिए।

श्री संजय सिंह: सर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ।

श्री उपसभापति: ऑलरेडी 4 मिनट हो चुके हैं। आपके पास दो मिनट का समय था।
...(व्यवधान)... यह आपका लास्ट वाक्य है।

श्री संजय सिंह: मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मुस्लिम महिलाओं के मामले में आप कानून लेकर आ रहे हैं। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने बगैर तीन तलाक कहे अपनी पत्नियों को छोड़ रखा है, उनके ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: बैठिए, बैठिए।

श्री संजय सिंह: उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लेकर आइए।

श्री उपसभापति: श्री बीरेंद्र प्रसाद बैश्य जी, आप बोलिए।

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO (Uttar Pradesh): Sir, I have a point of order.
...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are not allowed. ...(Interruptions)... No permission.
...(Interruptions)...

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (Assam): Hon. Deputy Chairman, Sir, I rise to support the Bill. Today, it is a historic moment for us. A very important Bill is being taken up for discussion and passage in our House. I must congratulate the hon. Law Minister for having brought this important Bill. This is a Bill for woman protection. This is a Bill for justice. This is a Bill for equality. I have been listening to the speeches of everybody who spoke here. Many speakers pointed out the provision of the Bill saying if anybody gives *talaq*, he has to go to jail for three years. But many speakers have protested against it. I would like to give you a simple example. The person, who has given *talaq*, has to go to jail. If he is not going to give *talaq*, he won't go to jail. So, he is getting imprisonment only for *talaq*. So, this Bill is very important. Our women sisters will get protection from this Bill. With these words, I totally support the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Bhupender Yadav; not present. Shri Vijay Goel.

श्री विजय गोयल (राजस्थान): उपसभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने मुझे The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019 बिल के ऊपर बोलने का मौका दिया है। यह बिल मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए है, यह बिल इंसानियत का बिल है, यह बिल महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए

5.00 P.M.

हैं। मुझे आज ताज्जुब श्री गुलाम नबी आज़ाद जी की बात पर हुआ, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने इतने कड़े शब्द इस्तेमाल किए हैं कि मुस्लिम फैमिलीज़ का destruction करने के लिए यह बिल लाया गया है। वे कहते हैं कि घर के चिराग से आग लगाने के लिए यह बिल लाया गया है।

उपसभापति महोदय, 40-50 साल तक हमें ऐसे लेबल किया गया, जैसे हम मुस्लिम विरोधी हों, मुस्लिमों के हितों के खिलाफ हों। जो प्रधान मंत्री देश के अंदर 'सब का साथ, सब का विकास और सब का विश्वास' की बात करता हो - मैं नहीं समझता कि इस ट्रिपल तलाक वाले बिल का विरोध करने का कोई भी कारण होना चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं, मैं क्वोट करता हूँ "एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा करके अल्पसंख्यकों को दूर रखा गया है। उन्हें दबाकर रखा गया और उनके साथ सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल खेला गया, उनसे छल किया गया और हमें छल के अंदर छेद करना है।"

उपसभापति महोदय, श्री गुलाम नबी आज़ाद जी हों, चाहे मीर मोहम्मद फ़ैयाज हों या फिर नज़ीर अहमद लवाय हों, ये मुस्लिम समाज से आते हैं, किंतु मैं मुस्लिम समाज में रहता हूँ। मैं तीन बार लोक सभा का मेम्बर रहा, जिसमें से दो बार मैं चांदनी चौक से मेम्बर रह चुका हूँ। जब मैं पहली बार चांदनी चौक चुनाव लड़ने गया था, तो मेरे अंदर डर था, मैं वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां से कभी भी जीती नहीं थी। लोग कहते थे कि बीजेपी की जो इमेज है, वह मुस्लिम विरोधी बनाई हुई है, एक भी मुस्लिम आपको वोट नहीं देगा। जब मैं वहां गया और सदर का चुनाव जीतने के बाद, चांदनी चौक से भी मैंने चुनाव जीता, तो लोगों ने कहा कमाल कर दिया है। मैंने उनसे कहा कि आपने वह कहानी सुनी है - एक नदी थी, उसके अंदर एक बच्चा डूब रहा था, किनारे पर बहुत सारे लोग खड़े थे, कोई भी उसको बचा नहीं रहा था, तभी एक आदमी ने तेजी से छलांग लगाई और वह उस बच्चे को बचा लाया। लोगों ने कहा, क्या कमाल कर दिया। उसने कहा 'क्या कमाल कर दिया' को मारो गोली, पहले मुझे बताओ, धक्का किसने दिया था। मुझे भी पार्टी ने धक्का दिया कि जाओ चांदनी चौक से चुनाव लड़ो।

फिर लोगों ने कहा कि जीतोगे कैसे, तो मैंने कहा कि सदर में ईश्वर था, चांदनी चौक में अल्लाह भी साथ आ गया है। तो मैं चांदनी चौक में मुस्लिम की ज़हनियत को समझता हूँ। वहां कितनी समस्याएं हैं, आप लोग नहीं जानते। जो नज़ीर अहमद जी, फ़ैयाज जी या गुलाम नबी आज़ाद जी बात करते हैं - आज आप कहते हैं कि जिन महिलाओं को तलाक दे दिया जाएगा, उनके बच्चों का क्या होगा? तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी सरकार रही, कांग्रेस की 60 साल तक सरकार रही, जिन्हें तलाक़, तलाक़, तलाक़, कहकर तलाक़ दे दिया गया, तब आपने उनके बच्चों का क्या ध्यान रखा, मैं यह आपसे पूछना चाहता हूँ? उसका जवाब आप नहीं देंगे। लोग मुझे कहते हैं कि कुरान के अंदर तीन तलाक़ का विरोध किया गया है। लोग मुझे कहते हैं कि मुस्लिम समाज के अंदर हम खुद चाहते हैं

[श्री विजय गोयल]

- अभी जब सबसे पहले वहां से मोहतरमा बोल रही थी तो उन्होंने कहा था कि हम खुद चाहते हैं कि तीन तलाक़ खत्म होना चाहिए, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को तीन बार तलाक़, तलाक़, तलाक़ कहकर तलाक़ दे देगा, उससे आप यह आशा कैसे कर सकते हैं कि अगर वह जेल नहीं भी जाएगा तो उसके बाद वह उसका ध्यान रखेगा? पत्नी तो उसे जेल भेजेगी ही - जब उसे घर से निकाल दिया तो वह उसे क्यों नहीं जेल में भेजेगी? आज गुलाम नबी जी कहते हैं कि तीन बार अगर मैं गोली, गोली, गोली बोलूं... तो मैं उनसे कहूंगा कि केस तो आप पर चलेगा। अगर आप इस तरीके की भाषा बोलेंगे कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा तो ऐसा तो नहीं है कि इसे अपराध नहीं माना जाएगा। सवाल यह है कि जब आप मुस्लिम महिला को, तलाक़ बोलें या न बोलें, घर से निकाल रहे हैं तो उसे हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

उपसभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज आप चांदनी चौक चले जाइए - चांदनी चौक पूरे देश को represent करता है - आप देखिए कि वहां छोटे-छोटे घरों में कितने-कितने लोग रहते हैं। वहां पर मुस्लिम की 80 प्रतिशत महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं। कुछ को यह काम दिया जाता है कि कोई मोबाइल में जैक लगाएंगी, कोई प्लास्टिक लगाएंगी, कोई उस पर थैली लगाएंगी या ऐसा कुछ काम करेगी। मुस्लिम महिलाओं को इस बात का अधिकार था कि उन्हें उनकी सम्पत्ति में 25 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा, वह भी नहीं मिलता है। जो मेहर की बात की जाती थी, मुझे बताया गया कि वह प्रतिदिन के हिसाब से पूरे जीवन के लिए होता है, लेकिन उसे केवल 786 रुपए कर दिया गया है कि महिला को हाथ तब लगाना, जब आप यह 786 रुपए की मेहर pay कर देंगे। सर, हमने तो अटल जी से यह सीखा था, अटल जी हमेशा कहते थे - लोग उनके बारे में भी यह कहते थे कि ये तो केवल नकाब हैं, अंदर से भारतीय जनता पार्टी और अटल जी साम्प्रदायिक थे - मेरी पार्टी ने, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने मुझे यही सिखाया है कि सबके लिए काम करें। आप जाइए, चांदनी चौक में पूछिए, विजय गोयल एक बार नहीं, दो बार अगर वहां से सांसद रहा तो उसने जितना काम हिन्दुओं के लिए किया, उतना ही मुस्लिम भाई-बहनों के लिए काम किया, यह आप वहां जाकर पता कीजिए, लोग आपको इसके बारे में बताएंगे। जितनी इमदाद प्रधान मंत्री के कोष से हमने एक वर्ग को दिलायी, उतनी ही इमदाद हमने दूसरे वर्ग को भी दिलायी। आप यह तो बताइए कि आप क्या कर रहे थे? कितनी बार आप मुस्लिम के बीच में काम करने के लिए गए? आपने उनकी बेवाओं, तलाक़शुदा औरतों और उनके बच्चों के लिए क्या काम किया, यह मैं देखना चाहता हूं।

उपसभापति महोदय, इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी कोई बड़े reforms हुए हैं, उनका विरोध हुआ है। चाहे वह सती प्रथा पर प्रतिबंध हो, चाहे वह हिन्दू मैरिज एक्ट हो, चाहे वह हिन्दू कोड बिल हो, चाहे चाइल्ड मैरिज हो या लड़कियों को property में हिस्सा देने की बात हो, ऐसा हमेशा से होता रहा है। महोदय, इस देश में लोगों को आज इस बात की चिंता है और अगर हम आज इस बात की चिंता कर रहे हैं कि मुस्लिम

समाज की जो महिलाएं हैं, उन्हें अधिकार मिलना चाहिए और उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, तो मुझे यह नहीं समझ में आ रहा कि इस बात के ऊपर सदन के अंदर किस बात की डिबेट हो रही है, उन्हें यह अधिकार क्यों न मिले? महोदय, कहा यह जा रहा है कि हमारे समाज के ऊपर बात क्यों की जा रही है। हम तो चाहते हैं कि हर समाज का हो। आज आपने देखा होगा, चाहे वह क्रिश्चियन समाज हो, चाहे पारसी हो, चाहे हिन्दू समाज हो, सभी के अंदर हमने अधिकारों की बात की है।

महोदय, मुझे बताया गया कि हज़रत उमर, जो चौथे खलीफा थे, उन्होंने तलाक़ को 1,400 साल पहले अपराध कहा था। आज आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे illegal कर दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे illegal नहीं किया होता और हमारे मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद जी इस बिल को लाए होते, तो क्या तब आप इसका समर्थन कर रहे होते कि हां, कोर्ट ने इसे illegal नहीं किया है तो तीन तलाक़ की प्रथा को बंद होना चाहिए? केवल इस बात के लिए defend किया जा रहा है। आप मुस्लिम महिलाओं के लिए बात नहीं कर रहे हैं, आप मुस्लिम महिलाओं के उन पतियों की सुरक्षा के लिए बात कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें तलाक़ कहकर छोड़ दिया हो या बिना तलाक़ कहे भी छोड़ दिया हो। जाहिर तौर पर, उनको न्याय चाहिए। हमने अभी चांदनी चौक में मुस्लिम के बीच में सर्वे करवाया। एक और organization ने भी करवाया था। हमने अपनी लोक अभियान संस्था से करवाया था। 82 प्रतिशत से ज्यादा महिलाओं ने, अपने चेहरे के पर्दे के अंदर से और अपने दरवाजे के पर्दे के अंदर से कहा, तीन तलाक़ के बारे में नहीं, बल्कि यह कहा कि मोदी जी हमारे लिए जो कुछ कर रहे हैं, वह बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम मोदी जी के साथ हैं। ...**(समय की घंटी)**...

उपसभापति जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा कि हमारे मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद जी ने लोक सभा में कांग्रेस के समर्थन के बाद भी, आपने जिन आपत्तियों को व्यक्त किया था, उन आपत्तियों के ऊपर उन्होंने संशोधन किए हैं। अंत में, आपको एक कविता सुनाकर, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा।

"सर्वोच्च न्यायालय व मोदी सरकार के मार्गदर्शन के प्रकाश में,
खोला है सुधारों का यह द्वार हमने।
अनेक जागरूक देशों की सुधार की पहल को,
किया है सहर्ष अंगीकार हमने।
कितनी निरीह अबलाओं, परित्यक्ताओं, रंजजदाओं,
की सुनी है कातर, करुण, हृदयदाही पुकार हमने।
धर्म, वर्ग, सम्प्रदाय, रुढ़ि, अंधविश्वासों से ऊपर उठकर
मानवीय न्याय को दी है रफ्तार हमने।"

SHRI AHAMED HASSAN: Sir, I have a point of order. He is mis-explaining Islam in this House. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Under which rule, are you raising the point of order?
...(Interruptions)...

SHRI AHAMED HASSAN: He is misinforming about Islam. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, you just quote the rule. I will allow you. Which is the rule? ...(Interruptions)... No rule? Now, Shri Bhupender Yadav. ...(Interruptions)... Not permitted. ...(Interruptions)...

श्री भूपेन्द्र यादव (राजस्थान): सम्माननीय उपसभापति महोदय, सुबह से इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है और चर्चा में बहुत सारे विषय आ रहे हैं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, a Half-an-Hour Discussion is scheduled for today, for which the notice was given by Shri Rewati Raman Singh. The hon. Member has requested that since the House is discussing such a serious Legislative Business, the Half-an-Hour Discussion may be taken up tomorrow. And, I have had the matter confirmed with the hon. Minister who has agreed to be present tomorrow at 3.00 p.m. for that discussion.

श्री भूपेन्द्र यादव: सर, जो यह एक महत्वपूर्ण विषय है, अपने-अपने राजनैतिक दलों से और राजनैतिक विषयों के हिसाब से, हम इस पर अपने विचार रखते हैं, लेकिन कई बार अगर विषय के मूल में देखा जाए, तो यह जो ट्रिपल तलाक का विषय है, इसको न्यायालय तक किसने लड़ा। इसको न्यायालय में लड़ने वाली जो महिलाएं थी और जिन्होंने इस लड़ाई को जीता, वे देश के सामान्य परिवेश में, अपनी परिस्थितियों, अपनी यातनाओं में, अपने दुखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गईं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। यह देश की सामान्य महिला की लड़ाई है, जिसको हमें सम्मान देना चाहिए। इसे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि राजनैतिक दल से यह कोई विषय शुरू हुआ है। आप उन महिलाओं की यातनाओं को समझो, आप उनके जीवन की पीड़ाओं को समझो। मैं तो उनकी बहुत हिम्मत की बात मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जाकर यह लड़ाई लड़ी है, तब समाज में यह विषय आया है कि यह कानून बनना चाहिए। अक्सर यह भी कहा जा रहा है और हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि हम यह एकतरफा कानून लाए हैं, हम यह एक ऐसा कानून लेकर आए हैं, जिसमें civil law में हम criminal offence का प्रावधान कर रहे हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। Indian Christian Marriage Act, 1872 के Section 66 के अंतर्गत कोई विवाह के संबंध में गलत दस्तावेज़ भी देता है, तो IPC के सैक्शन 93 में तीन साल की सज़ा का प्रावधान है। इसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट, 4954 के सैक्शन 43, 44 में शादीशुदा व्यक्ति अगर दो शादियां करता है, तो आईपीसी में उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान है। पारसी मैरिज एक्ट एंड डॉयवोर्स एक्ट, 1936 के सैक्शन

5 के अंतर्गत दो विवाह पर आईपीसी में सज़ा का प्रावधान है और सैक्शन 12, 13 और 14 में भी ...*(व्यवधान)*...

SHRI MAJEED MEMON: No, this is not correct. ...*(Interruptions)*...

श्री भूपेन्द्र यादव: मैं बता रहा हूँ। आप यह नहीं कह सकते कि आप केवल एक ही सिविल कानून में हिन्दू मैरिज एक्ट में भी दो विवाह के लिए सज़ा का प्रावधान है। उसके साथ ही साथ, अगर कोई व्यक्ति दहेज लेता है, तो आप तो कल को यह कहोगे कि दहेज में आदमी जेल के अंदर चला गया, अब इस महिला का भरण-पोषण कौन करेगा? जहां तक आप इस विषय को बार-बार कह रहे हो कि इसमें public order किया जाता है, सबसे बड़ी बात यह है कि public order का क्या अर्थ है? हम जिस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत रहते हैं, उस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत, अगर किसी भी पर्सनल लॉ में कोई चीज़ अमान्य हो रही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि वह संविधान की धारा 14 के खिलाफ है और मैं यह कहना चाहूँगा कि जो धार्मिक सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 25 में मिला हुआ है, उसमें और हमारे संविधान के बाकी जो पर्सनल लॉ में जो रूढ़ियां अमान्य हैं, जिनके कारण स्त्री-पुरुष समानता का भाव टूटता है, जिसके कारण पारिवारिक तनाव में एक व्यक्ति को हम किसी प्रकार का आश्रय नहीं दे सकते हैं, आखिर दहेज अधिनियम क्या है, कि कोई भी स्त्री जो विवाह करके आती है, उसको अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करना, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, उसको ऐसी परिस्थितियों में डालना, जिससे कि वह विवाह में एक प्रकार से प्रताड़ित हो, यह कानून तो कांग्रेस के लोग लेकर आए थे। इसीलिए जब हमने महिलाओं को परिवार के अंदर सुरक्षा देने का कार्य किया है कि परिवार के अंदर उसको कोई भी अनावश्यक रूप से दबा न सके। आप यह मानकर चलिए कि किसी भी... अगर यह कॉन्ट्रैक्ट भी है, मैं किसी धर्म का व्याख्याकार नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है और यह माना जाता है, मगर उसमें किसी को एक तरफा यह कह देना, केवल तीन शब्दों के माध्यम से कह कर, अगर उसके जीवन को असुरक्षित करना है, तो यह निश्चित रूप से अमान्य है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, उस पर कानून बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने किसी को कह दिया कि मैं तुम्हें गोली मार दूँगा, गोली लगी नहीं, लेकिन अगर किसी ने उसको तलाक, तलाक, तलाक कह कर छोड़ दिया है, तो उसके बाद जो उसके जीवन की यातनाएं हुई हैं, उनसे सुरक्षा देना जरूरी है।

उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि दुनिया के बाकी के देशों में निश्चित रूप से पर्सनल लॉ है। हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक आज़ादी का अधिकार है, अपनी आस्था को मानने का अधिकार है। पूरे समाज में अलग-अलग तरीके से हम theology से अपने-अपने तरीके से, अपनी-अपनी आस्थाओं के साथ शासित होते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ है, हमें किसी पर विश्वास और आस्था है, उस विश्वास और आस्था को रूढ़ि और परम्परा से अलग करके देखना चाहिए। अपनी विश्वास और आस्था को हम जिस तरीके से, हम दुनिया में अपने भगवान को, खुदा को जिस तरीके से पाना चाहते हैं, हम पा सकते

[श्री भूपेन्द्र यादव]

हैं, लेकिन अगर उसको हम रूढ़ियों से जोड़ेंगे, अगर हम उसको रूढ़ियों से जोड़कर विवाह के एक पक्ष के खिलाफ, अगर हम अन्याय करने का काम करेंगे, तो मेरा यह मानना है कि लोकतंत्र के अंदर, हमारा यह संविधान अधिकार देता है, उस महिला को और उस व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की जाए, उसके लिए यह कानून लाया गया है।

उपसभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला विषय ट्रिपल तलाक के संबंध में अपने आप से कोई पहली बार, हमने इस प्रकार का कार्य किया है कि हमने सिविल लॉ को क्रिमिनल लॉ में बदल दिया है, मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूँ। दूसरी बात, हमारा संविधान पूरी व्यवस्था के अंतर्गत संतुलन देता है। जहां हमारे वैयक्तिक अधिकार, हमारी आस्था के विषय और रूढ़ियां हैं, उनके बीच में हमारा संविधान एक रेखा खींचता है और इसीलिए रूढ़ियों को दरकिनार करके आगे बढ़ने के रास्ते पर हमको चलना चाहिए।

तीसरा विषय यह है कि दुनिया में Beijing Declaration की बात कही जाती है। जेएनयू में वामपंथी से लेकर सारे लोग बहुत तरह की कविताएं तथा तरह-तरह के विषय कहा करते हैं, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जब आप Beijing Declaration की बात करते हैं, दुनिया में महिलाओं के समान अधिकार की बात करते हैं...

महोदय, जब आप महिलाओं के समान अधिकार की बात करते हैं, तो एक वर्ग-विशेष में, किसी भी वर्ग-विशेष की महिला हो, फिर चाहे वह हिन्दू समाज के अन्तर्गत हो, मुस्लिम समाज के अन्तर्गत हो या सिख समाज के अन्तर्गत हो, उनके कानूनों में यदि विसंगतियां हैं, तब वे उसी पर्सनल लॉ को एड्रेस करते होंगे, जब आस्था और विश्वास को चुनौती न देते हों।

महोदय, जैसा माननीय विधि मंत्री जी ने कहा है, जब पूरी दुनिया के अनेक मुस्लिम देशों में तलाक का कानून नहीं है और फिर कुछ हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि हम केवल ऐसे देशों का उदाहरण ही क्यों देते हैं, जहां समाजवाद नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि वहां भले ही लोकतंत्र नहीं है, लेकिन वे देश शरीयत के हिसाब से चलते हैं, वे देश मुस्लिम लॉ के हिसाब से चलते हैं। अगर वे मुस्लिम लॉ के हिसाब से चलते हैं और यदि वहां के पर्सनल लॉ में इसे अमान्य माना गया है, तो भारत लोकतांत्रिक दृष्टि से बड़ा समृद्ध देश है। हमारे यहां तो सभी प्रकार की आस्थाओं को सम्मान देने की बात कही गई है। हम इस किसी की आस्था के साथ नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन हम एक स्त्री के सम्मान के विषय में बोल रहे हैं, एक महिला के सम्मान के विषय में बोल रहे हैं। हम उस कानून के विषय में बोल रहे हैं, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय के माध्यम से महिलाओं के हक में निर्णय दिया है। इसलिए ट्रिपल तलाक के पूरे विषय से लड़ने के लिए जिन समाज की महिलाओं ने सर्वोच्च न्यायालय जाकर यह निर्णय पाया है। मुझे लगता है कि यह सामान्य समाज की और सामान्य महिलाओं की बात है और यह कार्य करके सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है और यह सुधारवादी कार्य करके हम एक नए भारत में, सबको

समता-मूलक और सबको समानता का दृष्टिकोण देंगे, इसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है और उसके लिए यह कानून लाया गया है। इसलिए इसका हम पूरे तरीके से समर्थन करते हैं।

श्री उपसभापति: श्रीमती सम्पतिया उड़के। आपके बोलने के लिए केवल दो मिनट का समय है।

श्रीमती सम्पतिया उड़के (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, चूंकि आज का यह दिन हमारी मुस्लिम बहनों और पूरे देश की बहनों के लिए ऐतिहासिक दिन है, इसलिए मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूँ माननीय विधि मंत्री जी को, जिन्होंने माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में इस बिल को यहां प्रस्तुत किया। इस बिल पर लगभग चार घंटे से लगातार बहस हो रही है। हमारे बहुत से वक्तागण ने इस बिल को गंभीरता से लिया और इसका समर्थन भी किया, लेकिन कुछ हमारे ऐसे सांसद भी हैं, जिन्होंने इसका विरोध किया है।

महोदय, मैं इस देश की समस्त मुस्लिम बहनों और देश की सभी बहनों की ओर से सदन में उपस्थित माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस बिल को पास किया जाए। इस बिल में जिस प्रकार से प्रावधान किए गए हैं, अभी मुझ से पहले बोलने वाले हमारे प्रवक्ता, जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है, उन्होंने पूरे विस्तार से इस बारे में बताया है। चूंकि मुझे आज इस पर बोलने का अवसर मिला है, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि इसमें कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान नहीं रखेंगे, तब तक लोगों को भय नहीं होगा। बार-बार कहा गया है कि पति द्वारा तीन तलाक देने पर, उसे तीन साल की सजा मिलेगी, मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसी स्थिति आए ही नहीं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि इस बिल का आप सब लोग पुरजोर समर्थन करें, ताकि हमारी बहनों को परेशानियों से बचाया जा सके।

महोदय, मैं अन्त में सभी से कहना चाहती हूँ कि इस बिल को पास करें और इस रक्षा बंधन पर हमारी बहनों को यह तोहफा दें। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ।

श्रीमती रूपा गांगुली (नाम निर्देशित) : माननीय उपसभापति महोदय, आज मैं इस मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल, 2019 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। आज मुझे हर्तुनिशा बीबी, वीरभूम, पश्चिम बंगाल की बातें याद आ रही हैं तथा इशरत जहां की भी बातें याद आ रही हैं। मैंने दोनों को ही पूछा है। हर्तुनिशा को वर्ष 2018 में पूछा था, जब इस बिल को सदन में लाया गया था और आज इशरत को मैंने दोबारा पूछा, तो मुझे पिछले तीन दिनों से लगातार फोन और मैसेज यह कहते हुए आ रहे हैं कि मैडम जी, आप इस बिल को पास मत करिए, क्योंकि अगर पति जेल में चला जाता है, तो हम बच्चों को कैसे खिलाएं-पिलाएं और कैसे उनकी देखभाल करेंगे। अतः मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि तलाक-तलाक-तलाक न कहा जाए, क्योंकि जिंदगी भर एक औरत

[श्रीमती रूपा गांगुली]

वेट करती रहती है और डरती रहती है कि एक बार अगर तलाक पति ने कह दिया, तो दो बार का तलाक बाकी रह गया।

एक बार कभी तलाक बोल दिया, एक साथ तीन तलाक बोल दिया, तो क्या होगा? वे इस डर की वजह से जीती रहती हैं, वे मरते-मरते जीती रहती हैं। यहाँ पर सभी लोग कहे जा रहे हैं, अलग-अलग दायरों के बारे में कहे जा रहे हैं कि यहाँ क्यों नहीं किया जा रहा है, वहाँ हिंदू स्त्रियों के ऊपर क्यों नहीं किया जा रहा है, आप धीरज रखिए, सब किया जाएगा। अगर कहीं भी कुछ गलत होता है, तो वह सब इस देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दिमाग में है। अगर इस देश में कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा है, तो वे जरूर देखेंगे। यहाँ पर खामखाह सब गुमराह किए जा रहे हैं, लोगों से कहा जा रहा है ...**(व्यवधान)**... गुमराह किए जा रहे हैं, लोगों से कहा जा रहा है। ...**(व्यवधान)**... मैं एक छोटी-सी सीधी बात कहना चाहूंगी, वैसे ही मुझे दो मिनट का वक्त मिला है और मैंने इन लोगों को चार घंटे सुना है, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लोग मुझे दो मिनट सुनने के लिए चुपचाप धीरज रख पाएंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप बोलिए।

श्रीमती रूपा गांगुली: मैं यह कहना चाहूंगी कि यह पति, पत्नी के बीच की बात है। अगर यह समझें कि किसी पति ने गुस्से से, नाराज़गी से, गलती से, कुछ भी करके तलाक-तलाक-तलाक कह दिया, अगर उन दोनों के बीच में प्यार है, मुहब्बत है, तो वह आगे पत्नी के हाथ में होगा। वह पत्नी बोलेगी कि ठीक है, आपने इस बार गलत कर दिया है, आगे मत करना, नहीं तो रास्ता है, अब judicial magistrate के पास ले चलेंगे। वह पत्नी के दायरे में रहेगा। ...**(समय की घंटी)**... पत्नी के ऊपर डिपेंड करेगा। ...**(समय की घंटी)**... सर, एक मिनट। यह पत्नी के ऊपर डिपेंड करेगा। आप पत्नी का सम्मान कीजिए, ऐसा मौका ही न दें, ऐसी घटना ही न घटे।

सर, मैं एक बहुत ही कठिन-सी बात कहकर अपनी बात को विराम देना चाहती हूँ कि अभी हिंदू परिवार के बारे में बात हो रही है। इस देश में, किसी धर्म में ऐसा नहीं है divorce - divorce - divorce बोल दिया और घर से निकाल दिया। ऐसा नहीं है। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि मैं गाँव-गाँव में घूमती रहती हूँ, बीरभूम में ऐसे कई गाँव हैं ...**(समय की घंटी)**... सर, बस एक सैकंड.. थर्टी सैकंड्स दे दीजिए।

श्री उपसभापति: कन्क्लूड कीजिए।

श्रीमती रूपा गांगुली: सर, मैं गाँव-गाँव में घूमती रहती हूँ। इस देश में यह भी सच्चाई है कि औरत यहाँ पर एक बच्चा, यहाँ पर एक बच्चा, एक पेट में और यहाँ पर भी बच्चा लेकर घूमती है, लेकिन तलाक के डर से रात में पति को न नहीं बोल सकती है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम तलाक़-ए-बिद्दत के खिलाफ हैं। जो कानून लाया गया है, जिस प्रकार से और जिस उद्देश्य से लाया गया है, हम उसके भी खिलाफ हैं। सर, समस्या इतनी बड़ी नहीं थी। शिया और वहाबी लोग तो इसको मानते भी नहीं हैं, सुन्नी में भी हनाफी सुन्नी इसको थोड़ा मानते हैं और 17-18 करोड़ की जनसंख्या में मुश्किल से 400, 500 ऐसे प्रकरण होंगे, जो इससे प्रभावित होते हों और वह भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जहाँ उसको unconstitutional, unquranic डिक्लेयर किया गया था, इस कानून की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मौजूदा कानून में ही इतने प्रावधान थे कि उसका निराकरण किया जा सकता था।

सर, माननीय मोदी जी जब से दूसरी बार प्रधान मंत्री बने हैं, तब से उन्होंने "सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास" की बात कही है। मैं जानना चाहता हूँ कि उनके विश्वास की बात कही है? उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि हमें अल्पसंख्यकों के विश्वास को लेना चाहिए। क्या इस कानून पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से चर्चा करके उन्हें विश्वास में लिया गया? आपने किससे चर्चा की, आपने किसको विश्वास में लिया, हम जानना चाहेंगे? मैं आपसे इतना जरूर कहता हूँ कि आपका एजेंडा, मैं उसकी तारीफ भी करता हूँ कि जब से संघ का गठन हुआ है, तब से लेकर आज तक आप अपने उद्देश्य की पूर्ति से कहीं भी विचलित नहीं हुए। आप आज भी उसी लाइन पर चले हुए हैं। मैं इसके लिए आपकी प्रशंसा भी करता हूँ, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि जब आप, "Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill" की बात करते हैं, तो जैसा मेरे मित्र ने कहा कि lynching में जो प्रभावित लोग हैं, जिनकी हत्या कर दी गई, क्या आपने कभी उनकी महिलाओं के बारे में सोचा?

2002 में गुजरात के riots में खुलेआम गर्भवती महिला के पेट में तलवार भोंक कर उसके बच्चे को काट डाला, ...**(व्यवधान)**... क्या उसके बारे में आपने कभी बात कही? ...**(व्यवधान)**... तब कहाँ गया था आपका यह मुस्लिम महिलाओं के प्रति प्रेम? ...**(व्यवधान)**... यह आप शुद्ध रूप से राजनैतिक दृष्टि से बात करते हैं। ...**(व्यवधान)**... मैं आपसे कहना चाहता हूँ ...**(व्यवधान)**...

SARDAR BALWINDER SINGH BHUNDER (Punjab): Sir, I have a point of order. ...**(Interruptions)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Under which rule? ...**(Interruptions)**... Then, no point of order. ...**(Interruptions)**... दिग्विजय जी, आप बोलें।

श्री दिग्विजय सिंह: मैंने आपसे अनुरोध किया है कि जो संशोधन मैंने दिए हैं, उन पर मैं अलग से आपसे बात करूँगा, क्योंकि इसमें criminal liability को लाना उचित नहीं है। हमारे हिन्दुओं में ऐसी प्रथाएँ हैं, राजस्थान के लोग यहाँ बैठे हैं, गुजरात के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, अनेक जातियों में आज भी नात्रा की प्रथा है, झगड़े की प्रथा है। ...**(व्यवधान)**... नहीं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया आपस में बात न करें।

श्री दिग्विजय सिंह: माथुर साहब, मेरे पास प्रमाण है। नात्रा क्या होता है? ...**(व्यवधान)**... नहीं, I am not yielding. ...**(Interruptions)**... नात्रा क्या होता है? जब हिन्दू बाल विवाह हो जाता है, आज भी कई जगह बाल विवाह होता है, अगर कोई पति अपनी पत्नी को छोड़ देता है और उसके बाद पति दूसरी शादी कर लेता है, तो जो लड़की छोड़ दी गई है, उस परिवार को अगर उस लड़की की दूसरी शादी करनी है, तो उस पति को उसको लाखों रुपए देने पड़ते हैं, जिसने उसे छोड़ कर दूसरी शादी कर ली। यह प्रथा आज भी है और अनेक जातियों में है। आदिवासियों में भी है, हमारे पिछड़ा वर्ग में अनेक जातियों में आज भी यह प्रथा है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप उनके लिए हिन्दू प्रोटेक्शन बिल लाएंगे? मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि किस प्रकार से यह लाखों रुपए का झगड़ा दिया जाता है और यही नहीं, जब कोई झगड़े का पैसा नहीं देता है, तो पंचायत बिठाई जाती है। फिर पंचायत में दलाल लोग बीच में आ जाते हैं और दलाल लोग बीच में आकर सौदा करते हैं। झगड़े का पैसा नहीं देने पर वे उनकी फसल उजाड़ देते हैं और घर जला देते हैं। माननीय मंत्री जी, क्या आप हिन्दू महिलाओं के marriage rights पर भी कानून लाने के बारे में हमें बताएंगे? माननीय मंत्री जी, मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज हिन्दुओं की लाखों महिलाएँ हैं, जो बिना divorce के, बिना किसी कानून के छोड़ दी गई हैं। इस देश में ऐसी लगभग 20 लाख हिन्दू महिलाएँ हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप उनके लिए कानून लाएंगे या केवल हिन्दू-मुसलमानों में झगड़ा खड़ा करने के लिए आप इस प्रकार के कानून लाएंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कानूनी रूप से विद्वान लोगों ने काफी बातें कही हैं। जब तलाक-ए-बिद्दत गैर-कानूनी हो चुका है, तो फिर इस प्रकार के कानून लाने का क्या औचित्य है, मैं नहीं समझ पाया हूँ। माननीय मंत्री जी, मैं तो आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि आप आज की भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठतम नेता हैं। आपसे कनिष्ठ कई लोग आपसे ऊपर चले गए। ...**(व्यवधान)**... मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी, आप उन लोगों को भी सलाह देंगे, जो आपसे कनिष्ठ हैं, लेकिन ऊपर चले गए हैं, आपसे ज्यादा ऊँचे ओहदे पर पहुँच गए हैं, क्या प्रथम सेवक से भी कहेंगे कि प्रथम सेविका को भी न्याय दिलवाएँ? धन्यवाद।

श्री उपसभापति: श्री रामदास अठावले जी, आपके पास सिर्फ दो मिनट का समय है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले): डिप्टी चेयरमैन सर, रवि शंकर प्रसाद जी जो "The Muslim Women (Protection of Rights of Marriage) Bill, 2019" लाए हैं, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। मैं इस विषय को लेकर बहुत सालों तक लड़ा हूँ। मुस्लिम महिलाओं पर होने वाला जो अन्याय था, उस अन्याय के खिलाफ बहुत साल तक एक आम मुस्लिम महिला ने लड़ाई लड़ी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि तीन तलाक के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं पर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और सरकार को इस पर कानून बनाने की आवश्यकता है। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार इसीलिए इस बिल को लेकर आई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप मुस्लिम

विरोधी समझते हैं। मैं भी जब आपके साथ था, तो मैं भी यही सीखता था कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, दलित विरोधी है, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी नहीं है, दलित विरोधी नहीं है, तभी मैं आपको छोड़कर इधर आ गया हूँ। ...**(व्यवधान)**... इसलिए मुझे लगता है और मैं बताना चाहता हूँ कि

राजनीति और समाजनीति में मोदी जी हैं बहुत ही चालाक।

इसलिए आया है बिल - तीन तलाक़।

मोदी जी ने दिखाई है तेज़ झलक।

इसलिए जनता ने लगाया है उनको प्रधान मंत्री का तिलक ? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप अपने टाइम का ध्यान रखें, आपका टाइम खत्म होने वाला है।

श्री रामदास अठावले: मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि यह जो बिल है, यह एक ऐतिहासिक बिल है। कांग्रेस पार्टी एक secular party है, कांग्रेस पार्टी सबका साथ देने वाली पार्टी है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी कौन सी पार्टी है, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम महिलाओं का समर्थन करना चाहिए था। दिग्विजय सिंह साहब अभी बोल रहे थे कि 20 लाख हिन्दू महिलाओं पर अन्याय हो रहा है, क्या उनके लिए भी कानून लाएंगे? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप कन्क्लूड करिए।

श्री रामदास अठावले: अगर हिन्दू महिलाओं पर भी अन्याय होता है, तो उनके लिए कानून बनाने के लिए ...**(समय की घंटी)**... जैसे इस अधिवेशन को हमने आठ-नौ दिन बढ़ाया है, अगला अधिवेशन भी हम ऐसे ही बढ़ाएंगे और तब पूरे बिल पास कर देंगे, लेकिन उसके लिए हमें आपका सहयोग मिलने की आवश्यकता है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय अठावले जी, प्लीज आप कन्क्लूड करिए।

श्री रामदास अठावले: आपकी जो पार्टी है, मुझे लगता है कि वह मुस्लिम महिलाओं का ...**(व्यवधान)**... अभी ये सब मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... इस बिल में प्रावधान है कि अगर किसी मैजिस्ट्रेट के पास कोई महिला जाती है, तो वहां उसको compromise करने का भी अधिकार है। तीन बार खाली तलाक़ तलाक़ तलाक़ बोल देने से उस महिला पर अन्याय होगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही इस सरकार ने यह कानून बनाने का निर्णय लिया है। हमारी आपसे अपेक्षा थी कि आप इस बिल को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पहले भी आप कुछ बिलों को सपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन इस बिल को सपोर्ट करने से आपको मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे मुसलमान तो इधर आ रहे हैं। ...**(समय की घंटी)**... पूरे हिन्दू इधर हैं, पूरे दलित इधर हैं। उधर कौन है? वहां कोई भी नहीं है, इस तरह की स्थिति है। अब आपको मुस्लिम महिलाओं का वोट भी नहीं मिलेगा।

(श्री सभापति पीठासीन हुए)

[श्री रामदास अठावले]

सभापति महोदय, यह बिल बहुत ऐतिहासिक बिल है। डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी हिन्दू कोड बिल लाए थे। चाहे मुस्लिम महिला हो, हिन्दू महिला हो, मुसलमान महिला हो या दलित महिला हो, उन्होंने उन सबको न्याय देने की बात कही थी, लेकिन तब इसका विरोध हुआ था। आज मोदी जी dare करके यह बिल लाए हैं। मैं अपनी Republican Party of India की ओर से इस बिल का समर्थन करता हूँ और आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप भी इस बिल का समर्थन करें, नहीं तो 2024 में आपकी हालत वैसी हो जाएगी, जय भीम जय भारत।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Now, hon. Minister, Shri Ravi Shankar Prasad. One minute, sorry! Shri Elamaram Kareem, the mover of the Statutory Resolution.

SHRI ELAMARAM KAREEM: Yes, Sir. I have already moved the Resolution. I would ask for a division.

MR. CHAIRMAN: Right; now, Mr. Minister.

विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): सर, कोई साढ़े चार घंटे से इस महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही प्रभावी चर्चा हुई है। कई वक्ताओं ने बोला है। लिस्ट बहुत लम्बी है, लेकिन आपकी अनुमति से इस सदन की हमारी जो women Members हैं, उनके नामों का मैं विशेष रूप से उल्लेख करूँगा - अमी यज्ञिक जी, दोला सेन जी, सरोज पाण्डेय जी, सम्पतिया उइके जी, रूपा गांगुली जी। हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब बोले, मुख्तार अब्बास नकवी जी बोले, आचार्य जी बोले, दिग्विजय सिंह जी बोले और बाकी प्रमुख लोगों ने अपनी-अपनी बातें कही हैं।

सर, मैं एक-एक करके बिन्दुवार उत्तर दूँगा, लेकिन कुछ बुनियादी सवाल सबसे पहले उठाना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या मतलब है, हमने क्या कहा, उस पर मैं आगे आऊँगा। लेकिन थोड़ा हम भी इस मामले को समझने की कोशिश कर रहे थे कि कुरान में क्या है और इस्लाम में क्या है। मैं अपनी बात यहीं से शुरू करना चाहता हूँ।

आमिर अली प्रिवी काउंसिल के जज थे। बाद में बंगाल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज रहे। उन्होंने एक किताब लिखी है - "Commentaries on Mohammedan Law" उन्होंने यह किताब 1908 में लिखी थी और अब तक इस किताब के 12-13 संस्करण आ चुके हैं। And, this book is considered to be one of the authoritative book on the Mohammedan Law. सर, मैं सिर्फ चार लाइनें पढ़ने की इजाज़त चाहूँगा। तलाक-ए-बिद्दत पर उन्होंने क्या कहा, मैं बस पाँच लाइनें पढ़ता हूँ। यह इसका 2005 का 5th reprint edition है। "As a matter of fact, the capricious and irregular exercise of the power of divorce which was in the beginning left to the husbands was strongly disapproved of by the Prophet. It is reported that when once news was brought to him that one of his

disciples had divorced his wife, pronouncing the three *talaqs* at one and the same time, the Prophet stood up in anger on his carpet and declared that the man was making a plaything of the words of God, and made him take back his wife."
 ...*(Interruptions)*... मैंने आपको शान्ति से सुना। ...*(व्यवधान)*... अब आप शान्ति से रहिए।
 ...*(व्यवधान)*...

SHRI ELAMARAM KAREEM: Sir, ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Nothing shall go on record. ...*(Interruptions)*...

SHRI ELAMARAM KAREEM: *

MR. CHAIRMAN: What is it, Shri Kareem? What happened to you?
 ...*(Interruptions)*... Why are you sitting and talking? ...*(Interruptions)*... Please, please.
 ...*(Interruptions)*... When the Minister is on his legs; if anybody wants to say anything, they should seek my permission. That is the system. You are all aware of it, and we had four hours' discussion. Then, let us hear the Minister.

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, प्रोफेट मोहम्मद साहब के लिए मेरे मन में भी बहुत इज्जत है, अदब है। He is the last word. अगर उन्होंने हजारों साल पहले इस पर इतनी सख्त पाबंदी लगायी कि उनके जिस बन्दे ने ऐसा किया, उसको कहा कि तुम अपनी पत्नी को वापस लो और 2019 में हम 6 घंटे से बहस कर रहे हैं कि यह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक-दो माननीय सदस्यों ने सही कहा, हमने इसका समर्थन नहीं किया, लेकिन क्या बोल रहे हैं- "तीन तलाक़ ग़लत है, लेकिन, but..." यह "but" क्या है? मतलब तीन तलाक़ को नाम के लिए ग़लत कह दो, बाकी जो होता है, चलते रहने दो, तो इससे हमारा difference है।

सर, जब भी हम सोसायटी की बात करते हैं, सोसायटी evolve करती है। आज जब मैं इस विषय को बोल रहा हूँ, तो गुलाम नबी आज़ाद साहब अपनी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। वे कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं में हैं, जो सुख और दुःख में कांग्रेस के साथ रहते हैं, इसलिए मैं उनकी और इज्जत करता हूँ। वे ऐसे नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास भी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 58 साल राज किया, तो क्या-क्या किया, वे यह भी समझते हैं। लेकिन आज मैं जब उनकी तकरीर सुन रहा था, तो मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो अच्छे काम उन्होंने किये, उन्हें भी भूल गये। सर, शारदा एक्ट, सती की बात बहुत लोगों ने कही। शारदा एक्ट, 1929 से हमने बाल विवाह खत्म किया। तो क्या खाली छोड़ दें? जब Hindu Marriage Act, 1955 बना, तो essentials of the Hindu Marriage में यह प्रावधान रखा गया कि पति की उम्र 21 साल होनी चाहिए और पत्नी की उम्र 18 साल होनी चाहिए और जो इसका उल्लंघन करेगा, तो सेक्शन 18 में कहा गया है कि उसको 2 साल की सज़ा होगी।

*Not recorded.

[श्री रवि शंकर प्रसाद]

गुलाम नबी आज़ाद साहब, यह तो आपकी सरकार ने किया था। उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि हम सजा देंगे तो वैवाहिक जीवन गड़बड़ा जाएगा। इसके आगे कहा गया कि —If a wife or a husband has a spouse already existing, the wife or the husband as the case may be, then the marriage is void. आप यही नहीं रुके, Section 494 में उसे 7 साल की सजा भी होगी। आज यहां माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जब Supreme Court ने इसे void कर दिया, फिर इसे लाने की क्या जरूरत थी - गुलाम नबी आज़ाद साहब, आपने तो आज से 55 साल पहले यही काम किया था कि अगर एक पत्नी के रहते तुम दूसरी पत्नी ले आए, बीवी ले आए या पति के रहते, पत्नी दूसरा पति ले आई तो उनकी marriage बिल्कुल गैर-कानूनी है और 7 साल की सजा भी होगी। उस समय आपने नहीं कहा कि अगर वह जेल जाएगा, सजा होगी तो उसका काम कैसे चलेगा? आपने अच्छा काम किया, हम आपके साथ हैं। आप यही नहीं रुके - Today, I am talking about Avolution. It is very important. What they have done and what they are doing now, I need to explain to this House, and though this House, to the people of this country.

अब दहेज को ले लीजिए। हर समाज कहता है कि दहेज हमारा अधिकार है और मिलना चाहिए। उसके लिए आज नहीं, 1961 में आप दहेज के खिलाफ कानून लाए, जो मेरे सामने है। इसमें दहेज मांगने पर, लेने पर या देने पर, 5 साल की सजा का प्रावधान है। यदि दहेज मांगते हैं तो 2 साल की सजा का प्रावधान है। पहले इन्होंने यह कानून bailable किया था, लेकिन आप इसका सैक्शन 8 देखें, सैक्शन 8 में इन्होंने 19.11.1986 को कहा कि अब यह non-bailable होगा, non-compoundable होगा। इन्होंने दहेज को भी non-bailable बना दिया। उस समय कुछ भी नहीं सोचा। The Dowry Prohibition Act is applicable to a Hindu husband or to a Muslim husband, to a Hindu mother-in-law or to a Muslim brother-in-law because it is religion neutral. ठीक भी किया लेकिन उस समय आपने कभी नहीं कहा कि non-bailable होने पर, अगर पति जेल चला जाए तो पत्नी की चिन्ता कैसे करेगा ? आज आप सहमति की बात करते हैं, लेकिन उस समय आपने नहीं कहा कि समझौता करना क्यों जरूरी है, समझौता नहीं होना चाहिए। ये आपने काम किया।

महोदय, 1961 के कानून से ही बात नहीं बनी। फिर आपने Indian Penal Code में सैक्शन 498 (ए) add किया और कहा कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ cruelty करता है, बदसलूकी करता है तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है और वह non-bailable होगा, चाहे वह हिन्दू पति हो या मुस्लिम पति हो, हिन्दू पत्नी हो या मुस्लिम पत्नी हो। आपने 1983 में यह कानून बनाया । उस वक्त किसकी सरकार थी, इनकी सरकार थी। 1955 का कानून आप लेकर आए, आपका अभिनंदन, Dowry Prohibition Law आपने बनाया, आपका अभिनंदन, सैक्शन 498 आप लाए, आपका अभिनंदन, लेकिन इतने प्रगतिशील काम करने वाले गुलाम नबी आज़ाद साहब, आपकी पार्टी और आपकी सरकार के, 1986

में शाह बानो के मामले में, कदम क्यों हिलने लगे - यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ...**(व्यवधान)**... मैं बड़े अदब से कांग्रेस पार्टी का विरोधी हूँ लेकिन राजीव गांधी, a young Prime Minister, with 400 plus majority, के आने के बाद हमें लगा कि अब कुछ अच्छी चीज़ें होंगी। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: आज जब मैं इस बात को राज्य सभा में उठा रहा हूँ तो मुझे यहां आरिफ मोहम्मद खां की याद आ रही है।

MR. CHAIRMAN: Please. ...**(Interruptions)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: उनके ऐतिहासिक भाषण पर उस हाउस में दो दिन बहस चली थी। मैं सदन के लोगों से कहना चाहूंगा कि हमें उनका भाषण पढ़ना चाहिए। दो दिन के बाद, उनके लिए कहा गया -- back off. उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ, उसे यहां बोला जा चुका है। लेकिन मैं यह सवाल पूछ रहा हूँ ...**(व्यवधान)**... कि इतनी हिम्मत दिखाने वाली कांग्रेस पार्टी 19.11.1986 को Dowry Prohibition Act को non-bailable बनाती है, लेकिन 1986 में शाह बानो के लिए न्याय के दरवाजे बंद कर देती है -- उस समय क्या हो रहा था? ...**(व्यवधान)**... सर, मैं बड़े अदब से कहना चाहूंगा, जिसकी चर्चा आदरणीय भूपेन्द्र यादव जी ने की कि शाह बानो, 1986 से लेकर 2019, शायरा बानो के मामलों तक कांग्रेस पार्टी वहीं खड़ी है। इसका कारण क्या है? मुझे मालूम है कि यही कांग्रेस पार्टी है, जिसने आज़ादी के आंदोलन में Communal Award के खिलाफ संघर्ष किया, यही कांग्रेस पार्टी है, जिसने आज़ादी के आंदोलन में communal representation का खिलाफत किया, लेकिन 2019 में भी शाह बानो मॉडल गाड़ी क्यों चल रही है? आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद साहब, मुझे यह बोलने का मन नहीं था, लेकिन आज आप काफी बोले हैं, तो मुझे आपके लिए एक food for thought देना है। अगर आपको मुनासिब लगे, तो सोचिएगा। 1986 में आपको 400 सीटें आई थी और उसके बाद लोक सभा के 9 चुनाव हुए हैं, आपको एक चुनाव में बहुमत नहीं मिला है। आप इसका ध्यान रखिए। इसका क्या कारण है? कभी सोचिएगा। 2014 में आप 44 हुए, आज आप 52 पर हैं, लेकिन आप 400 की ऊंची ऊंचाई से उठे, 1986 में शाह बानो का मामला लाए और उसके बाद से आपको बहुमत नहीं मिला। I am giving a food for thought for you. Kindly think over it. यह देश किधर बढ़ रहा है, आपको यह सोचना चाहिए।

सर, बार-बार सुप्रीम कोर्ट की बात आई, लेकिन हमने यह कभी नहीं कहा कि हम यह कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण ला रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कहानी क्या है, यह मैंने उस हाउस को भी बताया और मुझे इस हाउस को भी बताने दीजिए, सर। ये शायरा बानो जी कुछ और के साथ, जो तीन तलाक के पीड़ित महिलाएं थी, 2013 में सुप्रीम कोर्ट में गई थी, challenging triple talaq, तीन तलाक, उसके बाद बाकी जो हैं, बहुविवाह, multiple marriages और बाकी सब जो उनको लगता था, इस्लामिक समाज में गलत है, उन सबको challenge करते हुए... सुप्रीम कोर्ट में आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं गया था। जब मेरे पास फाइल आई, 2014 में प्रधान मंत्री जी ने मुझे कानून विभाग

[श्री रवि शंकर प्रसाद]

दिया था, तब पदाधिकारी आए, तो माननीय प्रधान मंत्री जी के पास गया कि सर, यह विषय है, क्या करना है? उन्होंने बिना छूटते कहा, जाओ तीन तलाक की पीड़ित बेटियों के साथ खड़े हो जाओ और सुप्रीम कोर्ट में कस कर जवाब दो, हम कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट के बाहर भी खड़े रहेंगे। We filed our reply soon. Now, the judgment has come, and, Sir, kindly check the record. Someone said I sought to mislead the House. No; I clearly outlined what all the five people have said. But, Sir, let me very clearly assert in this House that this House does not need the mandate of the Supreme Court to pass a law. That is a sovereign right of this House, always independent of any judgment. लेकिन आज मैं अपने से एक सवाल पूछता हूँ और यह सवाल पूछना बहुत जरूरी है। मैंने विजय गोयल की तरह चांदनी चौक में काम नहीं किया, पटना की सब्जीबाग की महिलाएं मुझसे मिलती थी, बाकी देखा है, लेकिन इस मामले को टेकअप करने के बाद बहुत सी खवातीनें मुझसे मिली हैं और उनकी पीड़ा और दर्द को मैंने समझा है। सर, मैं दो उदाहरण दूंगा। मेरे पास एक delegation आया था, नाम लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि माननीय कानून मंत्री जी, आप जो यह कानून लेकर आ रहे हैं, तो हमारी ईद भी आज है और हमारा 15 अगस्त भी आज है। यह हम आपसे कहना चाहते हैं। सर, चूंकि मैं आईटी विभाग भी हैंडल करता हूँ, इसलिए एक दिन मेरे पास एक आईटी प्रोफेशनल आई। वह obviously मुस्लिम जमात की थी। उसने मुझसे एक बात कही कि मंत्री जी, I am an IT professional. Talk to me in English. मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, मैंने तीन बेटियों को जन्म दिया और मेरे पति ने गर्व से WhatsApp से मुझे तलाक, तलाक, तलाक दे दिया। सर, अब मैं अपने से एक सवाल पूछना चाहता हूँ और इस सदन में रखना चाहता हूँ कि ऐसी खवातीनों को मैं क्या कहूँ? देश का कानून मंत्री हूँ, कि तुम इस जजमेंट को मढ़वा लो, मढ़वा कर घर में टांग दो या फिर contempt करो, यही करूँ?

सर, यह जो नंबर के बारे में पूछा गया, इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूँ कि हम सही में यह नंबर collect नहीं करते हैं। हमारे एक दोस्त ने सही कहा, लेकिन यह क्या हो रहा है, इसलिए नंबर collect करना पड़ा कि more than 300 after the judgment and 574 from 2017. यूपी में 74..., एक बात जान लें कि ये वे नंबर हैं, जो हम मीडिया से, टीवी से, अखबार से इकट्ठा कर सके। अभी गोयल साहब ने दो नंबर बताए। सॉरी। अभी किसी और ने दो-तीन नंबर बताए। नंबर आगे बढ़ेगा। यह नंबर सैकड़ों में और होगा। अगर पीड़ित होती हुई हमारे मुसलमान समाज की बेटियाँ-बहनें आएँ, तो हम कहें कि खाली जजमेंट पढ़ा करो! सर, आप भी जानते हैं कि वे पुलिस के पास जाती थी और पुलिस कहती थी कि हमें कानून में पावर चाहिए, क्योंकि जब तक कानून में पावर नहीं होगी, हम एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते और कार्रवाई नहीं कर सकते। सर, मैं क्या उन्हें फुटपाथ पर रोता हुआ छोड़ दूँ, असहाय, निसहाय, बिलखता हुआ? मैं बड़ी विनम्रता से कहूँगा मैं

नरेन्द्र मोदी सरकार का कानून मंत्री हूँ, राजीव गाँधी सरकार का नहीं हूँ। अगर न्याय की जरूरत होगी, तो यह सरकार खड़ी होगी और हम खड़े हुए हैं। सर, मैं फिर उसी सवाल पर आऊँगा, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत आरोप लगाए हैं कि हम मुसलमानों के साथ नाइंसाफी करते हैं। मैं इसका जवाब दूँगा, But, let me ask a fundamental question. Why no religion-centric issues are raised when wholesale amendments for right reasons were sought to be done in the Hindu Marriage Act, when the marriage was sought to be made void in the absence of subsistence of the marriage, not only void simply, Sir, but even punishment for seven years? उस समय किसी ने यह बात नहीं उठाई कि पति कहाँ से खिलाएगा? कहाँ से परिवार चलेगा? On the Dowry Prohibition Act, no one raised the issue that when the husband goes to jail, how he will feed his wife or children. No questions were asked. When Section 498A came about, three years' punishment and the offence made non-bailable, not a question was raised on this. ये सवाल तभी क्यों उठते हैं, जब मुस्लिम समाज की बेटियों के लिए न्याय की गुहार लेकर हम आगे बढ़ते हैं? माननीय सभापति जी, ये बड़े सवाल इसलिए हैं, क्योंकि ये वर्ष 1986 में उठे और ये सवाल आज भी उठ रहे हैं। शाह बानो से लेकर शायरा बानो तक ये उसी जगह पर खड़े हैं, भले ही 44 हो गए, भले ही 52 हो गए। अब आगे क्या होगा पता नहीं?

सर, जब समाज आगे बढ़ता है, कुछ लोगों ने बहुत सही कहा, जब समाज आगे बढ़ता है, तो आपको बदलाव करना पड़ेगा और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और आज मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार में कई चीज़ें हुईं। आप नोटबंदी, जीएसटी को छोड़िए, हमने सिटिजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट की बात की, तब नॉर्थ-ईस्ट को लेकर काफी हंगामा हुआ। आपकी तरफ से भी हुआ। हमारी सरकार अड़ी रही, खड़ी रही। इसके लिए आज मैं अपने प्रधान मंत्री, अपने गृह मंत्री का अभिनंदन करूँगा। हमारे भी बहुत लोग कहते थे कि क्या हार जाएंगे? हमने कहा देश हित में देखा जाएगा। आप देखिए, हमने देश को बताने की कोशिश की, तो पूरा नॉर्थ-ईस्ट हम स्वीप कर गए। सिटिजनशिप बिल के रहते हुए स्वीप किया। सर, मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि देश जागता है, जगाने वाला होना चाहिए और आज यह देश mature हुआ है। Let us understand the changing profile of India, that the people are willing to support a positive initiative for change if the initiative is fair.

सर, अब बात आती है कि आपने इसे क्राइम के अंतर्गत क्यों किया? इसी context में मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूरे जजमेंट में लगभग आठ-नौ पेजेज़ में इस्लामिक कंट्रीज़, बाकी कंट्रीज़ के तीन तलाक के सिस्टम को आउटलाइन किया है। गुलाम नबी आज़ाद साहब बे-अदबी माफ करेंगे, हम किसी theocracy को सपोर्ट नहीं करते। हम तो आईएसआई और आतंकवाद से लड़ने वाले लोग हैं, उनको पटकने वाले लोग हैं और उनको इस हिंदुस्तान से मुक्त करने वाले लोग हैं। लेकिन हमने यह बात क्यों कही? ...**(ब्यवधान)**...

श्री सभापति: थोड़ा आवाज़ पर भी ध्यान दीजिए। ...*(व्यवधान)*...

श्री रवि शंकर प्रसाद: Sir, I am sorry. I am sorry. सर, क्या करें, आज़ाद साहब के सामने बहुत दिन के बाद बोलने का मौका मिला है। सर, हमारा सिर्फ यही कहना है कि इस तरीके से हम लोगों ने आज — हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि आपने क्या किया? जब हम सत्ता में थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में इस देश का एक बहुत ही योग्य राष्ट्रपति हमने बनाया था। वे भी मुस्लिम जमात से आते थे। सर, और बहुत से सवाल आए। मैं आपसे कहूँगा कि वे सारे सवाल हमने इन मुद्दों में रख दिए हैं। ये सारे सवाल इसलिए हैं कि अगर Arabic countries, Islamic countries, मजहबपरस्त कंट्रीज भी अपने समाज की खवातीनों के लिए बदलाव करने की कोशिश कर रही हैं, तो हम तो एक डेमोक्रेसी हैं। हम एक सेक्युलर कंट्री हैं, तो यहाँ पर यह क्यों नहीं होना चाहिए? सर, आपने देखा होगा कि हमने एक प्रकार से विस्तार से सारे मुद्दों का जवाब दिया है।

सर, अब मैं political brinkmanship की बात नहीं करूँगा। उसका आरोप तो चलता रहता है, आगे जवाब देंगे। सर, मुझे अंत में एक बात कहनी है। दो सवाल और उठे हैं कि अपनी पत्नी को मैजिस्ट्रेट के सामने क्यों लाया जाए? ...*(व्यवधान)*...

SHRI KAPIL SIBAL (Uttar Pradesh): Sir, through you, can I put a question to the Minister?

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I am not yielding. ...*(Interruptions)*... Sir, I am not yielding.

MR. CHAIRMAN: The Minister is on his legs. What you are saying is not going on record. You are a very senior Member. You know it.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I am not yielding.

MR. CHAIRMAN: He is not yielding.

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, एक सवाल उठा कि हमने इसमें मैजिस्ट्रेट के यहाँ जाने का प्रावधान क्यों रखा है? कानून में बहुत सारे प्रावधान हैं। अगर कोई बड़े व्यवसायी हैं, तो उनका subsistence allowance ज्यादा होगा और अगर कोई रिक्शा वाला है, तो उसका कम होगा। लेकिन सर, एक बात ध्यान रखी जाए, हमने थोड़ी मोटी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। तीन तलाक की सबसे अधिक पीड़ित महिलाएँ, 75 परसेंट गरीब परिवारों से आती हैं, यह समझना चाहिए। उन गरीब महिलाओं के लिए भी यह एक बहुत बड़ा रास्ता है।

6.00 P.M.

सर, यह भी कहा गया कि आपने bail में उसको सुनने के लिए क्यों कहा है? यह बहुत सिम्पल-सी बात है। जब husband साहब bail लेकर आएंगे, तो एक सवाल यह उठता है कि वे ऐसा क्यों करें? ठीक है, वे ऐसा न करें। वे तीन तलाक नहीं दें, तो जेल जाने की जरूरत नहीं है। जब वह bail लेने आएगा, तो पति से पूछा जाएगा कि क्या तुमने तीन तलाक दिया है? अगर तुमने नहीं दिया है, तो जाओ, इज्जत से घर लेकर जाओ, नोट कर लेंगे और अगर दिया है, तो जेल जाओ, subsistence allowance दो। So, we have tried to make it as straight as possible. सर, यह जो पूरा सिस्टम है, इसको हमने bailable भी किया है और हमने compoundable भी किया है। किसी ने पूछा कि आपने blood relation क्यों कहा, तो मैं बताना चाहता हूँ कि सेक्शन 498 में इसका प्रावधान है।

सर, मैं बस एक अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा। ये कहते हैं कि हम मुस्लिम समाज को टारगेट करते हैं। सर, हमारा क्या सोच है, बस यह उदाहरण देकर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मैं Information and Broadcasting Minister था। उस समय पाकिस्तान के लाहौर में भारत-पाकिस्तान का एक मैच था, जिसका मुझे निमंत्रण मिला। मैं प्रधान मंत्री के पास गया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ देखो कि क्या है। सर, मैं वीआईपी बॉक्स में कसूरी साहब के साथ बैठा था, जो उस समय वहाँ के विदेश मंत्री थे। उस मैच में जहीर अब्बास ने ऐसी बाउलिंग की कि कई पाकिस्तानी आउट हो गए। यूसुफ पठान ने भी ऐसा ही किया। बाद में, हमारे एक और बैट्समैन ने ...(व्यवधान)...

कई माननीय सदस्य: ज़हीर खान।

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I correct myself. Zaheer Khan. सर, यूसुफ पठान ने भी ऐसा ही किया। बाद में, मोहम्मद मुश्ताक ने बैटिंग में छः छक्के लगा दिए। तब बात-बात पर कसूरी साहब मुझसे पूछने लगे कि जनाब रवि शंकर साहब, ये ज़हीर खान साहब, यूसुफ पठान साहब हिन्दुस्तान में कहाँ के मुसलमान हैं? सर, मैं चुप रहा, तो उन्होंने फिर पूछा कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? मैंने कहा—आप बेअदबी माफ कीजिए, वे भारत माता के बन्दे हैं और इस वक्त वे यहाँ पाकिस्तान में भारत को जिताने के लिए आए हैं। सर, यह हमारी सोच है और यही हमारी सोच रहेगी। भले हमें वोट कम मिलता हो, लेकिन अगर हम "सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास" की बात करते हैं, तो इस पर आगे बढ़ेंगे, वोट का नफा-नुकसान नहीं देखेंगे, क्योंकि वे उतने ही हिन्दुस्तानी हैं, जितने बाकी हैं और हमको उन्हें आगे बढ़ाना है। सर, इसी के साथ मैं इस सदन से गुजारिश करूँगा कि पूरा सदन एक होकर इस बिल को पास करे। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: I shall first put the Statutory Resolution moved by Shri Elamaram Kareem to vote. The question is:

"That this House disapproves the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Second Ordinance, 2019 (No. 4 of 2019) promulgated by the President of India on 21st February, 2019."

The motion was negatived.

...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment moved by Shri Elamaram Kareem for reference of the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019 as passed by Lok Sabha to a Select Committee of the Rajya Sabha to vote. The question is:

"That the Bill to protect the rights of married Muslim women and to prohibit divorce by pronouncing *talaq* by their husbands and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the following Members:

1. Shri Elamaram Kareem
2. Shri Tiruchi Siva
3. Ms. Dola Sen
4. Shri Bhubaneswar Kalita
5. Prof. Manoj Kumar Jha
6. Shri Sanjay Singh
7. Shri Vaiko
8. Shri K.T. S. TuIsi
9. Shri Kanakamedala Ravindra Kumar
10. Shrimati Vandana Chavan
11. Shri Binoy Viswam

with the instruction to report by the last day of the first week of the next Session of the Rajya Sabha.

SHRI ELAMARAM KAREEM: Sir, I want division. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Okay. Lobbies to be cleared. *...(Interruptions)...* The House will continue to sit for this Bill and also for the next Bill. *...(Interruptions)...*

SOME HON. MEMBERS: Sir, there are some new Members.

MR. CHAIRMAN: They will get slips. There are some new Members who have been elected and sworn-in.

SOME HON. MEMBERS: Sir, they have not been allotted seats. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: That is why the voting process is not through electronic voting system. We will do it manually and slips would be given to all Members. ...*(Interruptions)*... प्लीज़, number one, बैठ के बोलना नहीं है। Secondly, once the Chairman announced something, it has to be followed.

MS. DOLA SEN: Sir, I have a point to make. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please, sit down. ...*(Interruptions)*...

MS. DOLA SEN: Sir, the point is. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You can meet me later. We will discuss. ...*(Interruptions)*... I repeat it again. No Member is supposed to go to the seat of another Member. If any Member has got doubt about his seat and his Division Number, as I told you, due to interim arrangement, the slips will be given to them and if any Member finds any difficulty in getting slip, he can raise his hand and I shall see to it that he gets a slip. But, no Member should give slip to another Member and no Member should go and sit by the side of other Member leaving his original seat. This is what is required. ...*(Interruptions)*... The Ministers can sit in the House. They are Ministers, but they cannot vote. This is the rule ...*(Interruptions)*... Ministers have got every right to sit. ...*(Interruptions)*... Secretary-General will now explain the voting procedure.

SECRETARY-GENERAL: Hon. Members, as you are aware, due to some changes in the composition of the House, the consequential changes in the seating plan and allotment of Division Nos. to new Members has not been done as yet. The voting today, therefore, on this Motion of Amendment, will be done through voting slips. These voting slips will be distributed to hon. Members by the officers of the Secretariat. Hon. Members may cast their vote by ticking 'Ayes' 'Noes', 'Abstentions' as per their choice and hand-over the slips back to the officials after signing. Thank you.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment moved by Shri Elamaram Kareem for reference of the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019 as passed by Lok Sabha to a Select Committee of the Rajya Sabha to vote. The question is:

"That the Bill to protect the rights of married Muslim women and to prohibit

divorce by pronouncing *talaq* by their husbands and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the following Members:

1. Shri Elamaram Kareem
2. Shri Tiruchi Siva
3. Ms. Dola Sen
4. Shri Bhubaneswar Kalita
5. Prof. Manoj Kumar Jha
6. Shri Sanjay Singh
7. Shri Vaiko
8. Shri K.T. S. Tulsi
9. Shri Kanakamedala Ravindra Kumar
10. Shrimati Vandana Chavan
11. Shri Binoy Viswam

with the instruction to report by the last day of the first week of the next Session of the Rajya Sabha.

The House divided.

MR. CHAIRMAN: Result of the 'Division' on disposal of Amendment for reference of the Bill to the Select Committee:

Ayes : 84

Noes : 100

AYES - 84

Abdul Wahab, Shri

Anand Sharma, Shri

Antony, Shri A.K.

Azad, Shri Ghulam Nabi

Babbar, Shri Raj

Bachchan, Shrimati Jaya

Banerjee, Shri Ritabrata
Bharti, Shrimati Misha
Bhattacharya, Shri P.
Bhunia, Shri Manas Ranjan
Biswas, Shri Abir Ranjan
Bora, Shri Ripun
Chakraborty, Shri Subhasish
Chandrashekhar, Shri G.C.
Chavan, Shrimati Vandana
Chhetri, Shrimati Shanta
Chidambaram, Shri P.
Chowdhury, Prof. Jogen
Dalwai, Shri Husain
Dullo, Shri Shamsher Singh
Elangovan, Shri T. K. S.
Fernandes, Shri Oscar
Gowda, Prof. M. V. Rajee
Gupta, Shri Manish
Gupta, Shri Narain Dass
Gupta, Shri Prem Chand
Gupta, Shri Sushil Kumar
Hanumanthaiah, Dr. L.
Haque, Shri Md. Nadimul
Hariprasad, Shri B. K.
Hassan, Shri Ahamed
Hussain, Shri Syed Nasir
Jha, Prof. Manoj Kumar
Kalita, Shri Bhubaneswar
Kareem, Shri Elamaram

Karim, Shri Ahmad Ashfaq
Ketkar, Shri Kumar
Khan, Shri Javed Ali
Khan, Shri Mohd. Ali
Memon, Shri Majeed
Mistry, Shri Madhusudan
Narah, Shrimati Ranee
Nishad, Shri Vishambhar Prasad
O'Brien, Shri Derek
Patel, Shri Ahmed
Patel, Shri Rajmani
Punia, Shri P. L.
Ragesh, Shri K. K.
Ramamurthy, Shri K. C.
Ramesh, Shri Jairam
Rangarajan, Shri T.K.
Rao, Dr. K.V.P. Ramachandra
Rathwa Naranbhai J., Shri
Ravi, Shri Vayalar
Ray, Shri Sukhendu Sekhar
Reddy, Dr. T. Subbarami
Reddy, Shri V. Vijayasai
Sahu, Shri Dhiraj Prasad
Seetharama Lakshmi, Shrimati Thota
Selja, Kumari
Sen, Ms. Dola
Sen, Dr. Santanu
Shanmugam, Shri M.
Sibal, Shri Kapil

Singh, Shri Akhilesh Prasad
Singh, Shri Digvijaya
Singh, Shri Rewati Raman
Singh, Shri Sanjay
Singhvi, Dr. Abhishek Manu
Siva, Shri Tiruchi
Somaprasad, Shri K.
Soni, Shrimati Ambika
Syiem, Shrimati Wansuk
Tamta, Shri Pradeep
Thakur, Shrimati Viplove
Tlau, Shri Ronald Sapa
Vaiko, Shri
Verma, Shri Ravi Prakash
Verma, Shrimati Chhaya
Viswam, Shri Binoy
Vora, Shri Motilal
Wilson, Shri P.
Yadav, Prof. Ram Gopal
Yajnik, Dr. Amee

NOES - 100

Acharya, Shri Prasanna
Agrawal, Dr. Anil
Akbar, Shri M. J.
Alphons, Shri K. J.
Athawale, Shri Ramdas
Baishya, Shri Birendra Prasad
Bajpai, Dr. Ashok
Baluni, Shri Anil

Bhunder, Sardar Balwinder Singh
Chandrasekhar, Shri Rajeev
Chhatrapati, Shri Sambhaji
Chowdary, Shri Y. S.
Dasgupta, Shri Swapan
Desai, Shri Anil
Dhindsa, Sardar Sukhdev Singh
Dhoot, Shri Rajkumar
Dudi, Shri Ram Narain
Dungarpur, Shri Harshvardhan Singh
Ganguly, Shrimati Roopa
Gehlot, Shri Thaawarchand
Goel, Shri Vijay
Gohel, Shri Chunibhai Kanjibhai
Goyal, Shri Piyush
Gujral, Shri Naresh
Hembram, Shrimati Sarojini
Jadhav, Dr. Narendra
Jain, Dr. Anil
Jaishankar, Shri S.
Jatiya, Dr. Satyanarayan
Javadekar, Shri Prakash
Jha, Shri Prabhat
Judev, Shri Ranvijay Singh
Kakade, Shri Sanjay Dattatraya
Kardam, Shrimati Kanta
Kashyap, Shri Ram Kumar
Kom, Shrimati M. C. Mary
Kore, Dr. Prabhakar

Lachungpa, Shri Hishey
Lokhandwala, Shri Jugalsinh Mathurji
Mahatme, Dr. Vikas
Malik, Shri Shwait
Mandaviya, Shri Mansukh
Manhas, Shri Shamsher Singh
Mansingh, Dr. Sonal
Mathur, Shri Om Prakash
Meena, Dr. Kirodi Lal
Mohapatra, Dr. Raghunath
Muraleedharan, Shri V.
Nadda, Shri Jagat Prakash
Nanda, Shri Prashanta
Naqvi, Shri Mukhtar Abbas
Nathwani, Shri Parimal
Nekkanti, Shri Bhaskar Rao
Netam, Shri Ram Vichar
Nirmala Sitharaman, Shrimati
Oraon, Shri Samir
Panchariya, Shri Narayan Lal
Pandey, Ms. Saroj
Paswan, Shri Ram Vilas
Patnaik, Shri Amar
Patra, Shri Sasmit
Poddar, Shri Mahesh
Prabhu, Shri Suresh
Pradhan, Shri Dharmendra
Puri, Shri Hardeep Singh
Rajbhar, Shri Sakaldeep

Ramesh, Shri C. M.
Rane, Shri Narayan
Rao, Shri G.V.L. Narasimha
Rao, Shri Garikapati Mohan
Raut, Shri Sanjay
Rupala, Shri Parshottam
Sable, Shri Amar Shankar
Sahasrabuddhe, Dr. Vinay P.
Shakal, Shri Ram
Shukla, Shri Shiv Pratap
Singh, Chaudhary Birender
Singh, Shri Ajay Pratap
Singh, Shri Amar
Singh, Shri Gopal Narayan
Singh, Shri K. Bhabananda
Sinha, Shri R. K.
Sinha, Shri Rakesh
Soni, Shri Kailash
Subhash Chandra, Dr.
Suresh Gopi, Shri
Swain, Shri Narendra Kumar
Swamy, Dr. Subramanian
Tasa, Shri Kamakhya Prasad
Tendulkar, Shri Vinay Dinu
Thakur, Dr. C.P.
Tomar, Shri Vijay Pal Singh
Tundiya, Mahant Shambhuprasadji
Uikey, Shrimati Sampatiya
Vaishnaw, Shri Ashwini

Vats, Dr. D.P.

Venkatesh, Shri T. G.

Verma, Shri Ramkumar

Yadav, Shri Bhupender

Yadav, Shri Harnath Singh

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment moved by Shri S.R. Balasubramoniyar for reference of the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019 as passed by Lok Sabha to a Select Committee of the Rajya Sabha to vote. The question is:

"That the Bill to protect the rights of married Muslim women and to prohibit divorce by pronouncing *talaq* by their husbands and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-

(Names to be given at the time of moving the motion)

with instructions to report by the last day of the first week of the next Session of the Rajya Sabha".

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Motion moved by Shri Ravi Shankar Prasad to vote. The question is:

"That the Bill to protect the rights of married Muslim women and to prohibit divorce by pronouncing *talaq* by their husbands and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill. In Clause 2, there are two Amendments; Amendment(No.9) by Dr. T. Subbarami Reddy and Amendment (No.16) by Shri Elamaram Kareem. Dr. Reddy, are you pressing your Amendment?

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, before my decision, I would like to say that my Amendment to Clause 2 is about the jurisdiction of the Judicial Magistrate...

MR. CHAIRMAN: No, no. You are supposed to say, "I am pressing" or 'I am not pressing'.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: ...and I have made it clear that it should be either at the place where the woman was last residing with her husband or the place where the marriage took place. Sir, I am not pressing it.

MR. CHAIRMAN: Okay. Now, Amendment (No.16) by Shri Elamaram Kareem. Are you moving?

CLAUSE 2 – DEFINITIONS

SHRI ELAMARAM KAREEM: Sir, I move:

(No.16) That at page 2, for lines 1 to 3, the following be substituted, namely:-

- (b) "Magistrate" means a Judicial Officer in-charge of the family court of the area where the married Muslim woman, upon whom *talaq* is pronounced resides; and"

The question was put and the motion was negatived.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 3, there are three Amendments. Amendment (No.5) by Shri Javed Ali Khan. Are you moving it?

SHRI JAVED ALI KHAN: Yes, Sir. I am moving it. Sir, I move:

CLAUSE 3 - TALAQ TO BE VOID AND ILLEGAL

- (No.5) That at page 2, line 11, for the words "void and illegal", the words "treated as only one revocable divorce" be substituted.

MR. CHAIRMAN: Amendment (No.10) by Dr. T. Subbarami Reddy. Are you moving it?

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, my amendment to this Clause is that...

MR. CHAIRMAN: No, no, please. ...*(Interruptions)*...

DR. T. SUBBARAMI REDDY: I want division if you don't permit me. ...*(Interruptions)*... So, my amendment to the Clause is that the pronouncement of *talaq* shall be void as suggested by Supreme Court. So, the word 'illegal' must be omitted from the Bill. This is my suggestion. Sir, I am not moving it.

MR. CHAIRMAN: Okay. Not moved. Amendment (No.19) by Shri Husain Dalwai. Are you moving it?

SHRI HUSAIN DALWAI (Maharashtra): Sir, I am not moving.

MR. CHAIRMAN: Thank you. I shall put Amendment (No.5) moved by Shri Javed Ali Khan to vote.

The motion was negatived.

Clause 3 was added to the bill

MR. CHAIRMAN: In Clause 4, there are seven Amendments. Amendment (No.1) by Shri K.T.S. Tulsi. He is not there. Amendment (No.6) by Shri Javed Ali Khan. Are you moving it?

CLAUSE 4 - PUNISHMENT FOR PRONOUNCING TALAQ

SHRI JAVED ALI KHAN: Sir, I move:

(No.6) That at page 2, *for* lines 12 to 14, the following be *substituted*, namely:-

"4. A muslim woman upon whom talaq is pronounced by her husband shall be entitled for punitive damages or to file a criminal complaint".

MR. CHAIRMAN: Amendment (No.11) by Dr. T. Subbarami Reddy.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, my Amendment to Clause 4 is to remove the imprisonment provision, and only a fine which may extend up to ₹ 5 lakh will do justice to the woman.

MR. CHAIRMAN: Are you moving it?

DR. T. SUBBARAMI REDDY: I am not moving it.

MR. CHAIRMAN: Good. Amendment (No.14) by Shri K. Somaprasad. Are you moving it?

SHRI K. SOMAPRASAD (Kerala): Sir, I move:

(No.14) That at page 2, lines 13 and 14, *for* the words "shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine", the words "shall be punished with a fine which may extend up to fifty thousand rupees" be *substituted*.

MR. CHAIRMAN: Amendment (No. 17) by Shri Elamaram Kareem.

SHRI ELAMARAM KAREEM: Sir, I move:

(No.17) That at page 2, *for* clause 4, the following be *substituted*, namely:-

"(4) Punishment or fine, if any, against the Muslim husband who pronounces talaq, as referred to in section 3, upon his wife shall be decided by the Magistrate as per existing laws."

MR. CHAIRMAN: Amendment (No. 20) by Shri Husain Dalwai. Are you moving it?

SHRI HUSAIN DALWAI: Sir, I move:

(20) That at page 2, *for* lines 12 and 14, the following be *substituted* namely:-

43 of 2005. "4. (1) If *talaq* referred to in section 3 of this Act is Rights of married Muslim woman upon pronouncement of talaq. pronounced against a married Muslim woman, it shall be treated as 'domestic violence' as defined in section 3 of the Protection of women from Domestic Violence Act, 2005;

(2)A married Muslim woman against whom *talaq* is pronounced shall be entitled to approach the Magistrate for enforcement of her rights, in such manner as may be determined by the Magistrate.

Explanation- For the purpose of this section, the rights of a married Muslim woman include but are not limited to, her right to reside in the shared household, custody of her minor children and maintenance for herself and her dependent children.

43 of 2005 (3)The Magistrate shall forthwith depute a Protection Officer appointed under section 8 of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 who shall take all steps necessary to ensure that the rights of the married Muslim woman are secured without any delay".

MR. CHAIRMAN: Amendment (No. 24) by Shri Digvijaya Singh. Are you moving it?

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I move:

(No.24) That at page 2, *for* lines 13 and 14, the words "shall be liable to a penalty of not less than one lakh rupees and ten thousand rupees per month as subsistence allowance till she remains unmarried" be *substituted*.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No.6) moved by Shri Javed Ali Khan to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No.14) moved by Shri K. Somaprasad to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No.17) moved by Shri Elamaram Kareem to vote.

The motion was negatived.

...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No.20) moved by Shri Husain Dalwai to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No.24) moved by Shri Digvijaya Singh to vote. The question is:

(No.24) That at page 2, *for* lines 13 and 14, the words "shall be liable to a penalty of not less than one lakh rupees and ten thousand rupees per month as subsistence allowance till she remains unmarried" be *substituted*.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I want division, and allow me to speak for one minute. I seek the support of the House that the criminal liability of this Clause should be deleted and instead it should be "shall be liable to a penalty of not less than one lakh rupees and ten thousand rupees per month as subsistence allowance till she remains unmarried." So, I seek the indulgence of the House and seek the support of the House to approve this amendment. Thank you, Sir.

The House divided

MR. CHAIRMAN: Ayes: 84

Noes: 100

AYES - 84

Abdul Wahab, Shri

Anand Sharma, Shri

Antony, Shri A.K.

Azad, Shri Ghulam Nabi

Babbar, Shri Raj

Bachchan, Shrimati Jaya

Banerjee, Shri Ritabrata

Bharti, Shrimati Misha

Bhattacharya, Shri P.

Bhunia, Shri Manas Ranjan

Biswas, Shri Abir Ranjan

Bora, Shri Ripun

Chakraborty, Shri Subhasish

Chandrashekhar, Shri G.C.

Chavan, Shrimati Vandana

Chhetri, Shrimati Shanta

Chidambaram, Shri P.

Chowdhury, Prof. Jogen

Dalwai, Shri Husain

Dullo, Shri Shamsher Singh

Elangovan, Shri T. K. S.

Fernandes, Shri Oscar

Gowda, Prof. M. V. Rajeev

Gupta, Shri Manish

Gupta, Shri Narain Dass
Gupta, Shri Prem Chand
Gupta, Shri Sushil Kumar
Hanumanthaiah, Dr. L.
Haque, Shri Md. Nadimul
Hariprasad, Shri B. K.
Hassan, Shri Ahamed
Hussain, Shri Syed Nasir
Jha, Prof. Manoj Kumar
Kalita, Shri Bhubaneswar
Kareem, Shri Elamaram
Karim, Shri Ahmad Ashfaq
Ketkar, Shri Kumar
Khan, Shri Javed Ali
Khan, Shri Mohd. Ali
Memon, Shri Majeed
Mistry, Shri Madhusudan
Narah, Shrimati Rane
Nishad, Shri Vishambhar Prasad
O'Brien, Shri Derek
Patel, Shri Ahmed
Patel, Shri Rajmani
Punia, Shri P. L.
Ragesh, Shri K. K.
Ramamurthy, Shri K. C.
Ramesh, Shri Jairam
Rangarajan, Shri T.K.
Rao, Dr. K.V.P. Ramachandra
Rathwa Naranbhai J., Shri

Ravi, Shri Vayalar
Ray, Shri Sukhendu Sekhar
Reddy, Dr. T. Subbarami
Reddy, Shri V. Vijayasai
Sahu, Shri Dhiraj Prasad
Seetharama Lakshmi, Shrimati Thota
Selja, Kumari
Sen, Ms. Dola
Sen, Dr. Santanu
Shanmugam, Shri M.
Sibal, Shri Kapil
Singh, Shri Akhilesh Prasad
Singh, Shri Digvijaya
Singh, Shri Rewati Raman
Singh, Shri Sanjay
Singhvi, Dr. Abhishek Manu
Siva, Shri Tiruchi
Somaprasad, Shri K.
Soni, Shrimati Ambika
Syiem, Shrimati Wansuk
Tamta, Shri Pradeep
Thakur, Shrimati Viplove
Tlau, Shri Ronald Sapa
Vaiko, Shri
Verma, Shri Ravi Prakash
Verma, Shrimati Chhaya
Viswam, Shri Binoy
Vora, Shri Motilal
Wilson, Shri P.

Yadav, Prof. Ram Gopal

Yajnik, Dr. Amee

NOES 100

Acharya, Shri Prasanna

Agrawal, Dr. Anil

Akbar, Shri M. J.

Alphons, Shri K. J.

Athawale, Shri Ramdas

Baishya, Shri Birendra Prasad

Bajpai, Dr. Ashok

Baluni, Shri Anil

Bhunder, Sardar Balwinder Singh

Chandrasekhar, Shri Rajeev

Chhatrapati, Shri Sambhaji

Chowdary, Shri Y. S.

Dasgupta, Shri Swapan

Desai, Shri Anil

Dhindsa, Sardar Sukhdev Singh

Dhoot, Shri Rajkumar

Dudi, Shri Ram Narain

Dungarpur, Shri Harshvardhan Singh

Ganguly, Shrimati Roopa

Gehlot, Shri Thaawarchand

Goel, Shri Vijay

Gohel, Shri Chunibhai Kanjibhai

Goyal, Shri Piyush

Gujral, Shri Naresh

Hembram, Shrimati Sarojini

Jadhav, Dr. Narendra

Jain, Dr. Anil
Jaishankar, Shri S.
Jatiya, Dr. Satyanarayan
Javadekar, Shri Prakash
Jha, Shri Prabhat
Judev, Shri Ranvijay Singh
Kakade, Shri Sanjay Dattatraya
Kardam, Shrimati Kanta
Kashyap, Shri Ram Kumar
Kom, Shrimati M. C. Mary
Kore, Dr. Prabhakar
Lachungpa, Shri Hishey
Lokhandwala, Shri Jugalsinh Mathurji
Mahatme, Dr. Vikas
Malik, Shri Shwait
Mandaviya, Shri Mansukh
Manhas, Shri Shamsheer Singh
Mansingh, Dr. Sonal
Mathur, Shri Om Prakash
Meena, Dr. Kirodi Lal
Mohapatra, Dr. Raghunath
Muraleedharan, Shri V.
Nadda, Shri Jagat Prakash
Nanda, Shri Prashanta
Naqvi, Shri Mukhtar Abbas
Nathwani, Shri Parimal
Nekkanti, Shri Bhaskar Rao
Netam, Shri Ram Vichar
Nirmala Sitharaman, Shrimati

Oraon, Shri Samir
Panchariya, Shri Narayan Lal
Pandey, Ms. Saroj
Paswan, Shri Ram Vilas
Patnaik, Shri Amar
Patra, Shri Sasmit
Poddar, Shri Mahesh
Prabhu, Shri Suresh
Pradhan, Shri Dharmendra
Puri, Shri Hardeep Singh
Rajbhar, Shri Sakaldeep
Ramesh, Shri C. M.
Rane, Shri Narayan
Rao, Shri G.V.L. Narasimha
Rao, Shri Garikapati Mohan
Raut, Shri Sanjay
Rupala, Shri Parshottam
Sable, Shri Amar Shankar
Sahasrabuddhe, Dr. Vinay P.
Shakal, Shri Ram
Shukla, Shri Shiv Pratap
Singh, Chaudhary Birender
Singh, Shri Ajay Pratap
Singh, Shri Amar
Singh, Shri Gopal Narayan
Singh, Shri K. Bhabananda
Sinha, Shri R. K.
Sinha, Shri Rakesh
Soni, Shri Kailash

Subhash Chandra, Dr.
Suresh Gopi, Shri
Swain, Shri Narendra Kumar
Swamy, Dr. Subramanian
Tasa, Shri Kamakhya Prasad
Tendulkar, Shri Vinay Dinu
Thakur, Dr. C.P.
Tomar, Shri Vijay Pal Singh
Tundiya, Mahant Shambhuprasadji
Uikey, Shrimati Sampatiya
Vaishnaw, Shri Ashwini
Vats, Dr. D.P.
Venkatesh, Shri T. G.
Verma, Shri Ramkumar
Yadav, Shri Bhupender
Yadav, Shri Harnath Singh

The motion was negatived.

Clause 4 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Attentively सुनना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर थोड़ा इधर-उधर हो गया तो फिर...

In Clause 5, there are five Amendments. There are two Amendments (Nos. 2 and 3) by Shri K.T.S. Tulsi; he is absent.

There is one Amendment (No.7) by Shri Javed Ali Khan. Are you moving the Amendment?

SHRI JAVED ALI KHAN: Sir, I move:

CLAUSE 5 - SUBSISTENCE ALLOWANCE

(No.7) That at page 2, line 20, *for* the words "may be determined by Magistrate" the words "per section 125 of the Code of Criminal Procedure, 1973" be *substituted*.

MR. CHAIRMAN: There is one Amendment (No.12) by Dr. T. Subbarami Reddy. Are you moving the Amendment?

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, I want to draw the attention of the hon. Minister ...*(Interruptions)*... I have every right to speak. Nobody can stop me. ...*(Interruptions)*... If you don't permit, I will ask for division.

श्री सभापति: ठीक है, लेकिन ऐसे conditional नहीं हो सकता।

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Subsistence Allowance should cover education of children also.

MR. CHAIRMAN: Amendment No.12 is not moved. There is one Amendment (No.21) by Shri Husain Dalwai. Are you moving the Amendment?

SHRI HUSAIN DALWAI: Sir, I move:

(No. 21) That at page 2, clause 5, be *deleted*.

MR. CHAIRMAN: I shall put the Amendment (No.7) moved by Shri Javed Ali Khan to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall put the Amendment (No.21) moved by Shri Husain Dalwai to vote.

The motion was negatived.

Clause 5 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 6, there is one Amendment (No.22) by Shri Husain Dalwai. Are you moving the amendment?

SHRI HUSAIN DALWAI: Sir, I move:

CLAUSE 6 - CUSTODY OF MINOR CHILDREN

(No. 22) That at page 2, clause 6, be *deleted*.

MR. CHAIRMAN: I shall put the Amendment (No.22) moved by Shri Husain Dalwai to vote.

The motion was negatived.

Clause 6 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In clause 7, there are seven Amendments. There is one Amendment (No.4) by Shri K.T.S. Tulsi; he is absent.

There is one Amendment (No.8) by Shri Javed Ali Khan. Are you moving it?

SHRI JAVED ALI KHAN (Uttar Pradesh): Sir, I move:

CLAUSE 7 - OFFENCE TO BE COGNIZABLE, COMPOUNDABLE, ETC.

(No. 8) That at page 2, clause 7, be deleted.

MR. CHAIRMAN: There is one Amendment (No.13) by Dr. T. Subbarami Reddy. Are you moving the Amendment?

DR. T. SUBBARAMI REDDY: I am not moving the Amendment. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: He has got the right either to move it or not to move it. There is one Amendment (No.15) by Shri K. Somaprasad. Are you moving it?

SHRI K. SOMAPRASAD: Sir, I move:

(No. 15) That at page 2, lines 33 to 36 be *deleted*.

MR. CHAIRMAN: There is one Amendment (No.18) by Shri Elamaram Kareem. Are you moving it?

SHRI ELAMARAM KAREEM: Sir, I move:

(No. 18) That at page 2, clause 7 be *deleted*.

MR. CHAIRMAN: There is one Amendment (No.23) by Shri Husain Dalwai. Are you moving it?

SHRI HUSAIN DALWAI: Sir, I move:

(No. 23) That at page 2, clause 7, be *deleted*.

MR. CHAIRMAN: There is one Amendment (No.25) by Shri Digvijaya Singh. Are you moving it?

श्री दिग्विजय सिंह: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि...

श्री सभापति: वह तो हो गया है।

श्री दिग्विजय सिंह: सभी की सहमति थी कि कृपया liability खत्म करके आप एक लाख रुपये दीजिए और दस हजार रुपए महावार दीजिए। Sir, I move:

(No. 25) That at page 2, clause 7 be *deleted*.

MR. CHAIRMAN: I shall put the Amendment (No.8) moved by Shri Javed Ali Khan to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall put the Amendment (No.15) moved by Shri K. Somaprasad to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall put the Amendment (No.18) moved by Shri Elamaram Kareem to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall put the Amendment (No.23) moved by Shri Husain Dalwai to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall put the Amendment (No.25) moved by Shri Digvijaya Singh to vote.

The motion was negatived.

Clause 7 was added to the Bill.

Clause 8 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was proposed.

श्री गुलाम नबी आज़ाद: सभापति महोदय, जहां तक मुस्लिम महिलाओं या सभी महिलाओं के सशक्तिकरण का सवाल है, तमाम विपक्ष जो इस साइड है, हम इस हक में हैं कि सशक्तिकरण होना चाहिए। जहां तक इस बिल का सवाल है, प्रश्न है, हम यह बिल भी चाहते थे और यह भी चाहते थे कि इसमें कुछ modification किए जाएं और यह बिल पास हो जाए। सर, इसलिए हमने दो चीज़ें कीं - एक तो अपोज़िशन ने रिज़ॉल्यूशन मूव किया था, ताकि यह सेलेक्ट कमेटी को मिल जाता और वहां इस पर विस्तार से चर्चा हो जाती और एक मौका दिया था, लेकिन सत्ताधारी पार्टी ने उस रिज़ॉल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया। फिर सारे विपक्ष ने एक अमेंडमेंट दिया कि यह क्रिमिनल लॉ नहीं होना चाहिए, यह

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

सिविल लॉ होना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद थी कि इस अमेंडमेंट को सरकार accept करेगी, लेकिन सरकार ने विपक्ष का यह अमेंडमेंट भी रिजेक्ट कर दिया, इसलिए विपक्ष को मजबूरी में इस बिल के खिलाफ वोट करना होगा।

† **قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد) :** سبھا پٹی مہودے، جہاں تک مسلم مٹلاؤں کی سبھی مٹلاؤں کے سشکنی کرن کا سوال ہے، تمام وپکش جو اس سائنڈ ہے، ہم اس حق می ہی کہ سشکنی کرن ہونا چاہئے۔ جہاں تک اس بل کا سوال ہے، پرسن ہے، ہم یہ بل بھی چاہتے تھے اور یہ بھی چاہتے تھے کہ اس می کچھ modification کئے جائیں اور یہ بل پاس ہو جائے۔ سر، اس لئے ہم نے دو چئی کی۔ ایک تو اپوزیشن نے ریولوشن موو کی تھا، تاکہ یہ سلیکٹ کمیٹی کو مل جاتا اور وہاں اس پر وستار سے چرچہ ہو جاتی اور ایک موقع دی تھا، لیکن ستہ داہاری پارٹی نے اس ریولوشن کو رجیکٹ کر دی، پھر سارے وپکش نے ایک امینڈمنٹ دی کہ یہ کریمنٹل لاء نہی ہونا چاہئے، یہ سول لاء ہونا چاہئے۔ ہم ی پوری امین تھی کہ اس امینڈمنٹ کو سرکار قبول کرے گی، لیکن سرکار نے وپکش کا یہ امینڈمنٹ بھی رجیکٹ کر دی، اس لئے وپکش کو مجبوری می اس بل کے خلاف ووٹ کرنا ہوگا۔

श्री सभापति: ठीक है। आपका अधिकार है। Now, the question is:

That the Bill be passed.

The House divided.

MR. CHAIRMAN: Ayes : 99

Noes : 84

AYES - 99

Acharya, Shri Prasanna

Agrawal, Dr. Anil

Akbar, Shri M. J.
Alphons, Shri K. J.
Athawale, Shri Ramdas
Baishya, Shri Birendra Prasad
Bajpai, Dr. Ashok
Baluni, Shri Anil
Bhunder, Sardar Balwinder Singh
Chandrasekhar, Shri Rajeev
Chhatrapati, Shri Sambhaji
Chowdary, Shri Y. S.
Dasgupta, Shri Swapan
Desai, Shri Anil
Dhindsa, Sardar Sukhdev Singh
Dhoot, Shri Rajkumar
Dudi, Shri Ram Narain
Dungarpur, Shri Harshvardhan Singh
Ganguly, Shrimati Roopa
Gehlot, Shri Thaawarchand
Goel, Shri Vijay
Gohel, Shri Chunibhai Kanjibhai
Goyal, Shri Piyush
Gujral, Shri Naresh
Hembram, Shrimati Sarojini
Jadhav, Dr. Narendra
Jain, Dr. Anil
Jaishankar, Shri S.
Jatiya, Dr. Satyanarayan
Javadekar, Shri Prakash
Jha, Shri Prabhat

Judev, Shri Ranvijay Singh
Kakade, Shri Sanjay Dattatraya
Kardam, Shrimati Kanta
Kashyap, Shri Ram Kumar
Kom, Shrimati M. C. Mary
Kore, Dr. Prabhakar
Lachungpa, Shri Hishey
Lokhandwala, Shri Jugalsinh Mathurji
Mahatme, Dr. Vikas
Malik, Shri Shwait
Mandaviya, Shri Mansukh
Manhas, Shri Shamsher Singh
Mansingh, Dr. Sonal
Mathur, Shri Om Prakash
Meena, Dr. Kirodi Lal
Mohapatra, Dr. Raghunath
Muraleedharan, Shri V.
Nadda, Shri Jagat Prakash
Nanda, Shri Prashanta
Naqvi, Shri Mukhtar Abbas
Nathwani, Shri Parimal
Netam, Shri Ram Vichar
Nirmala Sitharaman, Shrimati
Oraon, Shri Samir
Panchariya, Shri Narayan Lal
Pandey, Ms. Saroj
Paswan, Shri Ram Vilas
Patnaik, Shri Amar
Patra, Shri Sasmit

Poddar, Shri Mahesh
Prabhu, Shri Suresh
Pradhan, Shri Dharmendra
Puri, Shri Hardeep Singh
Rajbhar, Shri Sakaldeep
Ramesh, Shri C.M.
Rane, Shri Narayan
Rao, Shri G.V.L. Narasimha
Rao, Shri Garikapati Mohan
Raut, Shri Sanjay
Rupala, Shri Parshottam
Sable, Shri Amar Shankar
Sahasrabuddhe, Dr. Vinay P.
Shakal, Shri Ram
Shukla, Shri Shiv Pratap
Singh, Chaudhary Birender
Singh, Shri Ajay Pratap
Singh, Shri Amar
Singh, Shri Gopal Narayan
Singh, Shri K. Bhabananda
Sinha, Shri R. K.
Sinha, Shri Rakesh
Soni, Shri Kailash
Subhash Chandra, Dr.
Suresh Gopi, Shri
Swain, Shri Narendra Kumar
Swamy, Dr. Subramanian
Tasa, Shri Kamakhya Prasad
Tendulkar, Shri Vinay Dinu

Thakur, Dr. C.P.
Tomar, Shri Vijay Pal Singh
Tundiya, Mahant Shambhuprasadji
Uikey, Shrimati Sampatiya
Vaishnaw, Shri Ashwini
Vats, Dr. D.P.
Venkatesh, Shri T. G.
Verma, Shri Ramkumar
Yadav, Shri Bhupender
Yadav, Shri Harnath Singh

NOES -84

Abdul Wahab, Shri
Anand Sharma, Shri
Antony, Shri A.K.
Azad, Shri Ghulam Nabi
Babbar, Shri Raj
Bachchan, Shrimati Jaya
Banerjee, Shri Ritabrata
Bharti, Shrimati Misha
Bhattacharya, Shri P.
Bhunia, Shri Manas Ranjan
Biswas, Shri Abir Ranjan
Bora, Shri Ripun
Chakraborty, Shri Subhasish
Chandrashekhar, Shri G.C.
Chavan, Shrimati Vandana
Chhetri, Shrimati Shanta
Chidambaram, Shri P.
Chowdhury, Prof. Jogen

Dalwai, Shri Husain
Dullo, Shri Shamsher Singh
Elangovan, Shri T. K. S.
Fernandes, Shri Oscar
Gowda, Prof. M. V. Rajeev
Gupta, Shri Manish
Gupta, Shri Narain Dass
Gupta, Shri Prem Chand
Gupta, Shri Sushil Kumar
Hanumanthaiah, Dr. L.
Haque, Shri Md. Nadimul
Hariprasad, Shri B. K.
Hassan, Shri Ahamed
Hussain, Shri Syed Nasir
Jha, Prof. Manoj Kumar
Kalita, Shri Bhubaneswar
Kareem, Shri Elamaram
Karim, Shri Ahmad Ashfaque
Ketkar, Shri Kumar
Khan, Shri Javed Ali
Khan, Shri Mohd. Ali
Memon, Shri Majeed
Mistry, Shri Madhusudan
Narah, Shrimati Raneer
Nishad, Shri Vishambhar Prasad
O'Brien, Shri Derek
Patel, Shri Ahmed
Patel, Shri Rajmani
Punia, Shri P. L.

Ragesh, Shri K. K.
Ramamurthy, Shri K. C.
Ramesh, Shri Jairam
Rangarajan, Shri T.K.
Rao, Dr. K.V.P. Ramachandra
Rathwa Naranbhai J., Shri
Ravi, Shri Vayalar
Ray, Shri Sukhendu Sekhar
Reddy, Dr. T. Subbarami
Reddy, Shri V. Vijayasai
Sahu, Shri Dhiraj Prasad
Seetharama Lakshmi, Shrimati Thota
Selja, Kumari
Sen, Ms. Dola
Sen, Dr. Santanu
Shanmugam, Shri M.
Sibal, Shri Kapil
Singh, Shri Akhilesh Prasad
Singh, Shri Digvijaya
Singh, Shri Rewati Raman
Singh, Shri Sanjay
Singhvi, Dr. Abhishek Manu
Siva, Shri Tiruchi
Somaprasad, Shri K.
Soni, Shrimati Ambika
Syiem, Shrimati Wansuk
Tamta, Shri Pradeep
Thakur, Shrimati Viplove
Tlau, Shri Ronald Sapa

Vaiko, Shri
Verma, Shri Ravi Prakash
Verma, Shrimati Chhaya
Viswam, Shri Binoy
Vora, Shri Motilal
Wilson, Shri P.
Yadav, Prof. Ram Gopal
Yajnik, Dr. Ameer

ABSTAINED -01

Nekkanti, Shri Bhaskar Rao

The motion is adopted.

MR. CHAIRMAN: Open the lobbies.

**Statutory Resolution disapproving the Companies (Amendment) Second
Ordinance, 2019 (No. 6 of 2019)**

And

The Companies (Amendment) Bill, 2019

MR. CHAIRMAN: Now, the Statutory Resolution disapproving the Companies (Amendment) Second Ordinance, 2019 and the Companies (Amendment) Bill to be discussed together. Please. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... This is not the way. ...*(Interruptions)*... This is not the way. ...*(Interruptions)*... What is 'No'? ...*(Interruptions)*... It is there on the Agenda. ...*(Interruptions)*... It is very much there on the Agenda. ...*(Interruptions)*...

सभा के नेता (श्री थावरचन्द गहलोत): सभापति महोदय, यह तय हुआ था कि देर तक बैठेंगे। ...*(ब्यवधान)*... लंच ब्रेक करने के समय यह तय किया था कि देर तक ...*(ब्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: You do not want to sit during lunch time. ...*(Interruptions)*... You do not want to have discussion here at 6.30. ...*(Interruptions)*... The other House is sitting up to 10 o'clock, 11 o'clock. ...*(Interruptions)*... I leave it to your collective wisdom. I appeal to all of you to please stay back and take up the Bill. ...*(Interruptions)*...

It is not fair. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... Please be seated. I once again appeal.....*(Interruptions)*... This is not the personal work of anybody. It is your duty. ...*(Interruptions)*... It is an Ordinance, it has to be replaced by a Bill. ...*(Interruptions)*...